हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

4 सितम्बर, 1990

खण्ड 3, अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 4 सितम्बर, 1990

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(2)1
वाक आउट	(2)13
तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(2)15
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र न का लिखित उत्तर	(2)36
विभिन्न विशयों पर उठाया जाना	(2)37
वाक आउट	(2)40
वक्तव्य– राजस्व मन्त्री द्वारा जिला फरीदाबाद में ग्राम लालपुर और भोरपुर किरावाली के नजदीक डैम की मुरम्मत सम्बन्धी	(2)40
विभिन्न विशयों पर उठाया जाना (पुनरारम्भ)	(2)41
वाक आउट्स	(2)42

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव– मण्डल आयोग की रिपोर्ट के लागू करने के बारे में प्रधान मन्त्री की घोशणा से उत्पन्न हुई कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सम्बन्धी	(2)43
वक्तव्य– गृह मन्त्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी	(2)44
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव– वृद्धावस्था पैन ान का वितरण न करने सम्बन्धी	(2)48
वक्तव्य– समाज कल्याण तथा पर्यावरण राज्य मन्त्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी	(2)49
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव– जिला रेवाड़ी में पेयजल की कमी सम्बन्धी	(2)50
वक्तव्य– अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी श्रेणियों के कल्याण राज्य मन्त्री द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव सम्बन्धी	(2)52
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(2)56

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(2)57
सरकारी संकल्प– हरियाणा स्टेट बिजली बोर्ड द्वारा ऋण लेने की रा ि ा की लिमिट बढ़ाने सम्बन्धी	(2)57
बिल्ज– (i) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान बिल (नं0 3) 1990	(2)71
(ii) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1990	(2)75
(iii) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउन्सिज एण्ड पैन ान औफ मैम्बर्ज) सैकिण्ड अमैंडमैंट बिल, 1990	(2)76
(iv) दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसायटीज (अमैंडमैंट) बिल, 1990	(2)78

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 4 सितम्बर, 1990

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Number of Bus Accidents during the years 1988-89 and 1989-90

***1163. Capt. Ajay Singh:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state-

(a) the total number of fatal accidents involving Haryana Roadways buses occurred in the State during the years 1988-89 and 1989-90 to-date;

(b) whether any amount as compensation has been paid as a matter of policy depending upon the nature of casualit suffered to the dependent of the deceased and the persony injured in the accidents, as referred to in part (a) above; if so, the total amount paid as compensaiton;

(c) the total amount of loss suffered by the Haryana Roadways on account of accidents, as referred to in part (a) above, during the afore-said period?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. The communication received from the Minister concerned in this connection reads as under:-

Interim Reply

राज्य मन्त्री,

"Ved Singh Malik Transport विभाग,

हरियाणा,

चण्डीगढ़।

दिनांक 3.9.90

Subject: Reply to Starred Assembly Question No. 1163- scheduled for 4th September, 1990.

Respected Speaker Sahib,

The above starred question is due to be answered in the Vidhan Sabha on 4th September, 1990. The reply to the above question involves collection of information from 17 different depots of Haryana Roadways spread over the State. It is, therefore, requested that an extension of 15 days may kindly be given for furnishing reply to this question.

With kind regards.

Yours sincerely,

-Sd-

(Ved Singh Malik)

Shri H.S. Chatha,

Hon'ble Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

Appointment of Inspectors

***1134. Shri Sita Ram Singla:** Will the Minister for cooperation be pleased to state the total number of Inspectors, if any, appointed in the Excise and Taxation Department during the year 1990 (to-date) togetherwith the names and addresses districtwise separately?

सहकारिता मंत्री (श्री धीर पाल सिंह): वर्श 1990 के दौरान 88 कर निरीक्षक अधीन सेवायें प्रवरण मण्डल, हरियाणा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं। उनके नाम तथा पतों का जिलावार विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

जिला अम्बाला

सर्वश्री

1. अमरजीत सिंह सपुत्र सुबेदार सिंह, गांव व डाकखाना रायवाली, जिला अम्बाला।

2. दलबीर सिंह सपुत्र श्री गुरबक्स सिंह, गांव नूरपुर, डाकखाना मरदो साहिब, जिला अम्बाला।

3. पवन कुमार सपुत्र श्री भागमल, गांव व डाकखाना बिलासपुर, जिला अम्बाला।

4. गौतम सपुत्र श्री राखे राम, मकान नं0 633, सैक्टर–6, पंचकूला।

5. ऋशि चौधरी सपुत्र श्री राधे भयाम, पंचकूला।

जिला भिवानी

सर्वश्री–

1. मोहिन्द्र सिंह सपुत्र श्री ओम प्रका ा, गांव बागांवाला, डाकखाना तौ ाम, जिला भिवानी।

2. रविन्द्र गुप्ता सपुत्र श्री ि ाव कुमार गुप्ता, मारफत दिनोदिया फलोर मिल्ज पुरानी अनाज मण्डी, भिवानी।

3. सती ा कुमार सपुत्र श्री विजय कुमार, गांव व डाकखाना भण्डेरी मुण्डाल, जिला भिवानी।

4. ब्रहम प्रका ा सपुत्र श्री दया राम गांव इसलोटा, जिला भिवानी।

5. मोहर सिंह सपुत्र श्री खिराज सिंह, मारफत श्री रणबीर सिंह साहरन गांव व डाकखाना बिरन, जिला भिवानी।

6. होि ायार सिंह सपुत्र श्री साधू राम, गांव व डाकखाना लौहारू मोहखरी, भिवानी।

7. अ ाोक कुमार सपुत्र श्री दीप चन्द गांव व डाकखाना बमला, भिवानी।

8. राजेन्द्र सिंह सपुत्र श्री भगवान सिंह, गांव व डाकखाना गसोला, चरखी दादरी, भिवानी।

9. सत्यबीर सिंह वह सपुत्र श्री चन्दू लाल, गांव व डाकखाना ढ़ानीमीरान बाया तो ाम, तहसील सिवानी, जिला भिवानी।

10. हरफूल सिंह सपुत्र स्व0 श्री करतार सिंह, गांव जोहजूकलान, भिवानी।

जिला फरीबादबाद

1. गजेन्द्र सिंह सपुत्र श्री जसवन्त सिंह, मकान नं0 2531, सैक्टर–3ए बल्लबगढ़, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, फरीदाबाद।

जिला गुड़गांव

1. राज सिंह सपुत्र श्री मनफूल सिंह 274/16, हीरा नगर, गुड़गांव।

2. ओम प्रका ा सपुत्र श्री मामन चन्द, मकान नं0 432, सैक्टर–17, गुड़गांव।

3. सतेन्द्र कुमार सपुत्र श्री भाम्भू दयाल 554/18, ओम नगर डी0एस0वी0 हाई स्कूल के पीछे, गुड़गांव।

जिला हिसार

सर्वश्री

1. राम सिंह सपुत्र श्री भालू राम, गांव व डाकखाना चौधरीवास, जिला हिसार।

2. सतबीर सिंह सपुत्र श्री अमर सिंह, गांव व डाकखाना छूलीखूरद, तहसील मण्डी आदमपुर, हिसार।

3. प्रदीप सिंह सपुत्र श्री निहाल सिंह, गांव व डाकखाना छनीदोलत वाया भूना, हिसार।

4. राके ा कुमार सपुत्र श्री हेम राज मारफत श्री के0 एल0 रिनवा, मकान नं0 1019 अर्बन अस्टेट–II, हिसार।

5. नफे सिहं सपुत्र श्री सरूप सिंह, गांव व डाकखाना सनदलाना, हांसी वाया उकलाना, हिसार।

6. सुभाश चन्द्र सपुत्र श्री राम चन्द्र, गांव व डाकखाना सत्रौडकला, तहसील व जिला हिसार।

7. भाम ेर सिंह दलाल सपुत्र श्री बनवारी सिंह, गांव व डाकखाना कुस्बा, तहसील हांसी, जिला हिसार।

8. सुरेन्द्र काजल सपुत्र श्री राजमल काजल, 179, लाजपत नगर, हिसार।

9. अजीत सिंह सपुत्र श्री काली राम, गांव व डाकखाना लितानी, हिसार।

10. जगदी ा चन्द्र सपुत्र श्री हरी सिंह, गांव व डाकखाना किरमारा, हिसार।

11. राम फल सपुत्र श्री भगवान सिंह, गांव व डाकखाना बाद ााह पुर, हिसार।

12. जसवंत सिंह सपुत्र श्री सूरजा राम, गांव व डाकखाना नगथला, हिसार।

13. आजाद सिंह सपुत्र श्री पूरन सिंह, गांव व डाकखाना ढ़ानीमाजरा, तहसील फतेहाबाद, हिसार।

जिला जीन्द

1. मोहिन्द्र सिंह सपुत्र श्री भाोभा चन्द, मकान नं0 339/6, गुप्ता कालौनी, जीन्द।

2. राजबीर सिंह सपुत्र श्री ज्वाला राम नैन, गांव व डाकखाना ककरोद, तहसील नरवाना, जीन्द।

3. राजेन्द्र कुमार सपुत्र श्री बारू राम, गांव सैहदा माजरा, डाकखाना उच्चाना कलान, नरवाना, जीन्द।

4. सत्यापाल सिंह सपुत्र श्री गंगा भीशण, गांव व डाकखाना दालमवाला, जीन्द।

5. कृश्ण सिंह सपुत्र श्री कपूर सिंह, गांव व डाकखाना करसोला, तहसील व जिला जीन्द।

6. ि ा ाा सिंह सपुत्र श्री हरी सिंह, गांव बोहाथा वाला, डाकखाना दालम वाला, जीन्द।

7. रमे ा कुमार सपुत्र श्री हर स्वरूप, 14/290 बाल्मीकी बस्ती, रामराये गेट, जीन्द भाहर।

जिला करनाल

1. कुलदीप सिंह लाठेर सपुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, मकान नं0 470ए जटान गेट, करनाल।

2. बजैन्द्र सिंह सपुत्र श्री जगदे ा सिंह, गांव व डाकखाना सेखपूरा, करनाल।

3. रत्न लाल सपुत्र श्री प्रेम चन्द, गांव व डाकखाना, सग्गा, करनाल।

जिला कुरूक्षेत्र

1. दलबीर सिंह सपुत्र श्री प्रीतम सिंह, गांव व डाकखाना मथाना, कुरूक्षेत्र।

2. जरनैल सिंह सपुत्र श्री जयपाल, गांव पौटली, डाकखाना खूरदबान, कुरूक्षेत्र।

3. हरनारायण सिंह सपुत्र श्री तीर्थ सिंह, गांव व डाकखाना बौर सैदान, कुरूक्षेत्र।

4. सुनहेरा सिंह सपुत्र श्री मोहर सिंह, गांव टयोहरा, डाकखाना क्योड़क, तहसील कैथल, कुरूक्षेत्र।

5. गुरचरण सिंह सपुत्र श्री भाम ोर सिंह, लाडवा, वार्ड नं0–2ए नजदीक हिन्दू हाई स्कूल, कुरूक्षेत्र।

6. मनीद्र सिंह सपुत्र श्री सुरजीत सिंह वकील अम्बाला रोड़ए कैथल, कुरूक्षेत्र।

7. रणधीर सिंह सपुत्र श्री ज्ञान चन्द, गांव सनदाली, डाकखाना गुम्ब्थाला राय, कुरूक्षेत्र।

8. निसान सिंह श्री सुदा सिंह मारफत मोहिन्द्र सिल्क स्टोर, चीका मण्डी, कुरूक्षेत्र।

9. क मीर सिंह सपुत्र श्री गुरबचन सिंह, गांव व डाकखाना खड़क तहसील, गुहला, कुरूक्षेत्र।

10. सुभाश कटारिया सपुत्र श्री ज्योति राम, रविदास नगर, वार्ड नं0 9, लाडवा, कुरूक्षेत्र।

जिला नारनौल

1. महेन्द्र पनवार सपुत्र श्री पन्ना लाल मौहकुतबपुर, रेवाड़ी, नारनौल।

2. सती ा कुमार सपुत्र श्री हरनाराण कथ मण्डी कनीना, मोहिन्द्रगढ़

जिला रोहतक

1. रविन्द्र पाल सपुत्र श्री तेजा सिंह, 133/32 जनता कालौनी, रोहतक।

2. रनबीर सिंह सपुत्र श्री हरसरूप सिंह, गांव व डाकखाना फरमाना बाद ााह पुर मेहम, रोहतक।

3. जय कि ान छिल्लर सपुत्र श्री सरदार सिंह गांव व डाकखाना लडरवान तहसील बहादुरगढ़, रोहतक।

4. राधे भयाम सपुत्र श्री बनी सिंह, गांव बरान, मेहम, रोहतक।

5. धर्मपाल बोरिया सपुत्र श्री बनवारी लाल, मकान नं0 177 वार्ड नं0 10, भाटिया गेट झज्जर, रोहतक।

6. जगदी ा कुमार सपुत्र श्री रूपचन्द, 370 माडल टाऊन, देहली रोड़, रोहतक।

7. दया नन्द राठी सपुत्र श्री चन्दगी राम, गांव व डाकखाना लाखनमाजरा, मेहम, रोहतक।

8. अमीर सिंह सपुत्र श्री कली राम, 44, भारत कालौनी, रोहतक।

9. महाबीर सिंह सपुत्र श्री सरूप सिंह, गांव व डाकखाना खरेनटी, रोहतक।

10. प्रताप सिंह सपुत्र श्री उम राव सिंह, गांव व डाकखाना छारा, रोहतक।

11. विजय कुमार सपुत्र श्री महाबीर सिंह, गांव व डाकखाना लाखनमाजरा, मेहम, रोहतक।

जिला सिरसा

1. अजय पाल सिंह सपुत्र श्री जसवंत सिंह, 44/3 कोर्ट कालौनी, सिरसा।

2. य ापाल सपुत्र श्री सबेग सिंह, गांव भाम ाहबाद पटी, डाकखाना अहमदपुर, सिरसा।

3. सुरे ा चन्द्र सपुत्र श्री अमी चन्द गांव व डाकखाना डिग, सिरसा।

4. देव सुमन सपुत्र श्री नत्थू राम बेनीवाल, गांव व डाकखाना दड़बा कलां, सिरसा।

5. कृश्ण कुमार सपुत्र श्री मदन लाल जाखड़, बरनाला रोड़ डी0 सी0 कालौनी सिरसा।

6. जगत पाल सपुत्र श्री जय सिंह, कोओपरेटिव मार्किटंग सोसाईटी ऐलनाबाद, सिरसा।

7. रणधीर सिंह सपुत्र श्री राम सिंह, गांव रामपुरा ढिल्लो, डाकखाना हनजीरा, सिरसा।

8. सुभाश चन्द्र सपुत्र श्री जीत राम, गांव ममेरा खुर्द, डाकखाना ऐलनाबाद, सिरसा।

9. राजे ा कुमार बेनीवाल सपुत्र श्री हनुमान सिंह, मारफत श्री मनफूल सिंह कांसवान, पुरानी कोर्ट कालोनी, गली नं0 3, सिरसां

10. बलदेव सिंह सपुत्र श्री जाबर सिंह, गांव व डाकखाना बारोलीयनवाली, तहसील व जिला सिरसा।

11. सुरेन्द्र कुमार सपुत्र श्री राम कि ान, गांव तेजा खेड़ा, डाकखाना चौटाला सिरसा।

12. विजय कुमार सपुत्र श्री हनुमान दास, गांव व डाकखाना मौजगढ़, त0 डबवाली सिरसा।

13. श्री राम सपुत्र श्री हेत राम, वार्ड नं0 4 ऐलनाबाद।

14. सुभाश बि नोई सपुत्र श्री हेत राम, गांव व डाकखाना सकताखेड़ा, मण्डी डबवाली सिरसा।

15. हरभजन सिंह सपुत्र श्री अर्जुनदास कम्बोज, भारत पब्लिक स्कूल गली नाम दारीटैन्ट हाऊस, मेन रोड़, ऐलनाबाद।

जिला सोनीपत

1. नरेन्द्र कुमार सपुत्र श्री वेद प्रका ा, गांव व डाकखाना सिलाना, सोनीपत।

2. अनील कुमार सपुत्र श्री कपीलदेव भाास्त्री मारफत खुराना न्यूज एजैन्सी, गोहाना।

3. सुन्दर सिंह सपुत्र श्री पूर्ण चन्द, मारफत 153, सैक्टर–14, सोनीपत।

4. जय भगवान सपुत्र श्री भारत सिंह, गांव व डाकखाना रेठाल, तहसील गोहाना, सोनीपत।

5. अनील कुमार सपुत्र श्री चन्दन दास, गांव व डाकखाना खरखोदा, सोनीपत।

चण्डीगढ़

1. पुनीत जैन सपुत्र अजीत प्रसाद जैन, मकान नं0 1744, सैक्टर–23बी, चण्डीगढ़।

गंगानगर

1. चैत राम सपुत्र श्री अमर सिंह, गांव सौती, डाकखाना दिपलां, तहसील नौहड़, गंगानगर, राजस्थान।

दिल्ली

1. राके ा कुमार सपुत्र श्री गणे ी लाल, मकान नं0 45 टाईप–3, तीमारपुर, दिल्ली–7।

श्री सीता रामः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन पदों के लिये कुल कितने लोगों ने ऐप्लाई किया था और कितनों ने परीक्षा दी? उनमें से कितने परीक्षा में पास हुए और परीक्षा में पास होने के बाद जो 88 लोग लिए गए हैं उनके लेने का क्या आधार रखा गया था?

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, जितने भी लोग लिए गए हैं वे सब के सब मैरिट के आधार पर लिये गए हैं। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि कुल कितने लोग परीक्षा देने के लिये आए, कितने पास हुए और कितनों ने फार्म भरे थे? यह इस मेन सवाल में पूछा नहीं गया था। ये अलग से नोटिस दे दें, जवाब दे दिया जाएगा।

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्री जी से पूछना चाहती हूं कि इन पदों के लिए कुल कितनी वैकैंसीज थी, कितने सिलैक्ट किए गए, कितनों को नौकरी में लिया गया और कितनों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है?

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, इन पदों के लिए कुल वेकैंसीज 96 थ। एस0एस0एस0 बोर्ड ने हमारे पास 88 आदमियों की रिकमैंडे ान की थी और हमने इन 88 आदमियों को ही नौकरी दे दी है।

श्री सीता राम सिंगलाः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सूची में दिखाया है कि कुछ लोग राजस्थान के गंगानगर जिले से और दिल्ली के भी हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हरियाणा में इतने योग्य व्यक्ति नहीं रहे जिसकी वजह से इन्हें हरियाणा से बाहर के व्यक्ति लेने पड़े?

श्री धीर पाल सिंहः योग्यता के आधार पर किसी का भी चयन हो सकता है। इसके अलावा यह भी कोई प्रतिबंध नहीं है कि कोई व्यक्ति बाहर से यहां पर इंटरव्यू के लिए नहीं आ सकता या बाहर के व्यक्ति की नियुक्ति यहां पर नहीं हो सकती।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, ... इन को तो पता ही नहीं कि इन पदों के लिए कब फार्म भरे गए, कब इन्टरव्यू लिए गए क्योंकि सारी लिस्टें तो तेजाखेड़ा फार्म पर ही तैयार की जाती हैं।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः स्पीकर सर, इन्होंने . . . भाब्द का प्रयोग किया है। मैं चाहता हूं कि यह भाब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री अध्यक्षः ठीक है, 'बेचारा' भाब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इनको तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, ये तो ऐसे ही जवाब दे रहे हैं।

Mr. Speaker: Please put the question.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इस मामले में लोगों में बहुत भारी नाराजगी है। लोगों में यह धारणा बन चुकी है कि एस0एस0एस0 बोर्ड न होकर . . . . . .

Mr. Speaker: This is not the way. It should not be recorded (Noise & Interruption).

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सूची में दिल्ली और गंगानगर के लोगों के नाम भी दिखाये हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने इन पोस्टों को ऐडवर्टाइजमैन्ट करते समय यह लिखा था कि हरियाणा से बाहर का भी कोई व्यक्ति इन पदों के लिए ऐप्लाई कर सकता है?

श्री अध्यक्षः इन्होंने पहले ही जवाब दे दिया है कि दे । के किसी भी हिस्से से कोई भी व्यक्ति ऐप्लाई कर सकता है। इस पर कोई पाबन्दी नहीं है।

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि ि ाड्यूल्डकास्ट की 24 पोस्टें थीं जबकि इन्होंने 24 की बजाये 18 लिए हैं। जिनके अलावा बैकवर्ड क्लासिज की भी कुछ पोस्टें थी, वे भी नहीं भरी गई हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इन रिजर्व कोटे की पोस्टों को न भरे जाने का क्या कारण रहा है? अध्यक्ष महोदय इतना ही नहीं बोर्ड में ठीक से नियुक्तियां न किए जाने पर बोर्ड के एक सदस्य ने बोर्ड के मैम्बर पद से भी इस्तीफा दे दिया है।

श्री अध्यक्षः इन्होंने पहले ही जवाब दे दिया है कि बोर्ड ने जितने लोग सिलैक्ट करके भेजे थे वे सभी लगा दिए हैं। Selection was made by the Subordinate Services Selection Board.

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, इन्होंने बी0सी0 और एस0सी0 कैन्डीडेट्स के बारे में सवाल पूछा है। इसके बारे में मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि बी0सी0 और एस0सी0 की पोस्टें भरें जाने बारे इससे अगला ही सवाल लगा हुआ है। जब वह सवाल लगेगा उस समय इस पर विस्तार से चर्चा हो जाएगी।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जवाब दिया है कि योग्यता के आधार पर ये लड़के लिए गए हैं। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या फरीदाबाद जिले में एक लड़के को छोड़ कर बाकी लड़कों में योग्यता का अभाव रहा, जिस वजह से इन्हें बाहर से आदमी लगाने पड़े? दूसरी बात में इनसे यह

पूछना चाहता हूं कि क्या इन्टरव्यू लेने से पहले यह देख लिया गया था कि जिन लड़कों ने ऐप्लाई किया था और जो इन्टरव्यू पर आए क्या उनका डौमिसाईल हरियाणा का था या बाहर का था?

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो ऐड्रैस फार्मज में दिए गए हैं, एक–एक ऐड्रैस को ध्यानपूर्वक चैक करके ही सदन के पटल पर रखा है। जहां तक डिस्ट्रिक्ट की बात है, मैं आपके माध्यम से अपने सम्मानित साथी को बताना चाहता हूं कि इन्सपैक्टर्ज के पदों की ऐडवर्टाईजमैन्ट के समय कोई सीमा नहीं थी कि किसी डिस्ट्रिक्ट से कैंडीडेट्स कितने लेने हैं। यह ऐडवर्टाईजमैन्ट सारे प्रदे ा में ओपन भर्ती के लिए की गई थी। उम्मीदवार कहां से कम हैं या कहां से ज्यादा हैं, इसका इससे कोई मतलब नहीं है।

डा0 बृज महोनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यमुना नगर जिले में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे इस पद के लिए सिलैक्ट किया जाता?

श्री धीर पाल सिंहः यह डिस्ट्रिक्ट बाद में बना है। यमुना नगर पहले अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में था।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह बात ठीक

है कि ऐक्साईज इन्सपैक्टर्ज की पोस्ट्स की जब ऐडवर्टाईजमैन्ट की गई थी तो इसकी पालिसी निर्धारित करने वाले दूसरे लोग थे और सिलैक ान के समय दूसरे सज्जन थे? क्या इन्हें कोई ऐसी ि ाकायत मिली है कि 21 ऐसे कैंडीडेटस का सिलैक ान हुआ है जो परीक्षा में पास नहीं हुए थे? क्या ऐसी कोई ि ाकायत मिली है कि यह सिलैक ान भ्रश्टाचार के आधार पर हुआ है? यदि ऐसी कोई ि ाकायतें मिली हैं तो क्या इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने कोई जांच कारवाई है?

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो भी ि ाकायतें मिली हैं उनकी जांच हुई है और एक भी ऐसा इन्सटान्स नहीं पाया गया जिस में किसी ने इन्टरव्यू न दिया हो या लिखित परीक्षा में न बैठा हो। अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सम्मानित हाउस को वि वास दिलाता हूं कि जितने भी 88 कैंडीडेटस सिलेक्ट हुए हैं, वे लिखित परीक्षा में भी पास हुए हैं और इन्टरव्यू के लिए भी गए हैं और पास हुए हैं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर सर, मैं आपके द्वारा अपने लायक दोस्त माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जो ि ाकायतें आई थी क्या उन सभी की जांच की गई थी? (विध्न) . . . . स्पीकर सर, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वे ि ाकायतें क्या थी और क्या उनमें कोई वजन नहीं था?

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह): स्पीकर साहब, डाक्टर साहब मन्त्री को कभी लायक दोस्त और कभी बेचारे कह रहे हैं। मैं डाक्टर साहब को बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई सीमा नहीं है कि कौन कहां से ऐप्लाई करे। सारे दे ा का कोई भी व्यक्ति किसी रोजगार के लिए ऐप्लाई कर सकता है (विध्न) एस0एस0एस0 बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर भर्ती की गई है।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मुख्य मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या जिला सिरसा में ही सारी योग्यता है? जिला सिरसा से 15 व्यक्तियों को सिलैक्ट किया गया है। (विध्न)

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने बताया है कि 88 कैंडीडेटस का सिलेक ान हुआ है और उनको लगा दिया है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस सिलैक ान सूचि में सुरे ा नाम का एक लड़का है जो ठोल के नजदीक के गांव का रहने वाला है। उसका सिलैक ान सूचित में 56वां या 57वां नाम है, उसको सिलैक ान की चिट्ठी भी मिल गई है लेकिन उसे अभी तक अप्वायंटमैंट नहीं मिली। क्या मन्त्री महोदय इस बारे में कुछ बताएंगे?

श्री धीर पाल सिंह: उस का नाम जनरल कोटे में होगा। जनरल कोटे में 45 उम्मीदवारों को अप्वायंटमैंट मिली है।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कुल कितने उम्मीदवारों की सिलैक ान हुई है? (विध्न)

श्री अध्यक्षः यह तो उन्होंने पहले ही बता दिया है कि 88 की सिलैक ान हुई है।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः क्या इस सिलैक ान के बारे में हाई कोर्ट में कोई रिट चल रही है?

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, 13 व्यक्तियों ने स्टे ले रखा है और यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है। मैं आपके माध्यम से इस सदन से यह आग्रह करूंगा कि इस बारे में ज्यादा चर्चा न करें तो ठीक रहेगा।

श्री परमा नन्दः स्पीकर साहब, अभी अभी हमारे योग्य मन्त्री जी ने यह बताया है कि 88 व्यक्ति मैरिट के आधार पर सिलैक्ट हुए थे और इस बारे मे किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई है। जब सरकार को यह पता है कि यह टैस्ट में पास हुए हैं और इन्टरव्यू में पास हुए हैं तो डरने की क्या आव यकता है? क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने बच्चे रिटन टैस्ट में पास हुए थे?

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, यह सब्जैक्ट तो एस0एस0एस0 बोर्ड का है।

श्री परमा नन्दः एस0एस0एस0 बोर्ड के बारे में ही तो आपने अभी बताया है।

श्री धीर पाल सिंहः यह ऐक्साईज एंड टैक्से ान डिपार्टमैंट का काम नहीं है, यह तो एस0एस0एस0 बोर्ड का काम है।

श्री परमा नन्दः आप यह बता दें कि बोर्ड से कुल कितने लोग रिटन टैस्ट में पास हुए हैं?

Mr. Speaker: This is not the question. Please take your seat.

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में यह बताया है कि 18 बच्चे हरिजन कोटे से आए हैं।

श्री धीर पाल सिंहः वह तो अगला सवाल है।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैंने आपके माध्यम से यह आग्रह किया है कि हाई कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। इस पर आठवें महीने की 21 तारीख लगी हुई थी। आगे भी केस चल रहा है। दूसरी बात जो हमारे साथी हरपाल सिंह जी ने पूछी है वह यह है कि 56 या 57 नम्बर का क्या हुआ? वैसे तो यह अगला प्र न है लेकिन फिर भी बता दूं कि ऐक्स–सर्विसमैन है और बी0सी0 हैं, इन सब को निकालने के बाद जनरल कैटेगरी की 45 पोस्टस बनती हैं।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, यह बड़ा ही संगीन मामला है।

आवाजें : सप्लीमैंट्री सर।

Mr. Speaker: No more supplementaries on this question now. This question has already taken 11 minutes.

वाक आउट

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, इस सवाल पर हाफ ऐन आवर डिस्क ान होनी चाहिए। सारे हरियाणा में इस बारे में बहुत रोश है। इसके बारे में बहुत चिन्ता व्यक्त की जा रही है। सरकार को बहुत बदनाम किया गया है। इस बारे में हाफ ऐन आवर डिस्क ान अव य होनी चाहिये। (ाोर व व्यवधान)।

श्री सीता राम सिंगलाः स्पीकर साहब, इस पर हाफ एन आवर डिस्क ान होनी चाहिये। (ाोर व व्यवधान) मैंने इस बारे में लिख कर भी दिया है। (ाोर)

Mr. Speaker: Please listen to me. This is not the way. This is House. You are not sitting in a panchayat.

श्री कैला ा चन्द भार्माः स्पीकर साहब, क्या रिवाड़ी और नारनौल में कोई आदमी नहीं है? वहां का एक भी आदमी नहीं है। सारे आदमी एक ही जगह के लिये गये हैं। (ाोर व व्यवधान)

Mr. Speaker: No interruptions please. I would not allow such things.

श्री सीता राम सिंगलाः आपने हमारी रिक्वैस्ट का क्या किया है?

श्री अध्यक्षः अभी आपका लिखा हुआ मेरे पास आया है but I have not applied my mind as yet (Interruptions)

श्री सीता राम सिंगलाः . . . . . .

Mr. Speaker: This is not the way and it is not to be recorded.

श्री सीता राम सिंगलाः स्पीकर साहब, मैं नम्र निवेदन करता हूं कि नियम 57 के मुताबिक आप इस पर हाफ ऐन आवर डिस्क ान कर दीजिए। मैंने लिख कर भी दे दिया है। (ाोर व व्यवधान)

Mr. Speaker: I would not allow it as this question has already taken sufficient time. So I reject it. (Interruptions) Moreover, this is not the proper way in which you are behaving.

श्री सीता राम सिंगलाः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर प्रार्थना करता हूं कि मैंने आपको हाफ ऐन आवर डिस्क ान के लिए लिखकर दिया है। आप हाफ ऐन आवर डिस्क ान अलाऊ कर दीजिए। (ाोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, सवाल नं0 1169 जो है वह भी टैक्से ान इंस्पैक्टर्ज के बारे में ही है। लगता है कि आने इस सवाल को देखा नहीं है। (विध्न) Let it come and you can ask more questions then. This question has already taken 11 minutes. Other questions are also on the list and let those be answered.

श्री सीता राम सिंगलाः अध्यक्ष महोदय, रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ का एक भी आदमी नहीं लगाया गया है। यह सवाल आपके सामने है। (ाोर व व्यवधान) There is a provision, Sir. You can grant half an hour discussion.

Mr. Speaker: I am sorry. I have declined it and I am not going to revise my decision. (Interruptions)

श्री राम बिलास भार्माः अगर ऐसी बात है तो हम वाकआउट करते हैं। (ाोर व व्यवधान)

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्री राम बिलास भार्मा, सीता राम सिंगला और कैला ा चन्द भार्मा तथा कांग्रेस (आई) पार्टी के सर्वश्री अजय सिंह, बलबरी पाल भााह और मोहम्मद असलम खां सदन से वाक आउट कर गए)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके व्यक्तित्व और इस कुर्सी पर कोई आक्षेप लगाने का अधिकार नहीं है फिर भी मैं गुजारि ा करूंगा कि इस हाउस की एक परम्परा बन गई है और यह मैंने पिछले एक दो सै ान्ज में खास तौर से

देखा है कि क्वै चन के जवाब न दिए जाएं। हम इस सदन में जो क्वै चन पूछते हैं वह जनता की भलाई को ध्यान में रखकर पूछते हैं। मैं इस प्र न पर सप्लीमैंटरी पूछने के लिये भ्रारू से ही हाथ उठा रहा हूं लेकिन मुझे एक बार भी समय नहीं दिया गया। अगर ये अपनी गल्ती को छिपाना चाहते हैं तो दूसरी बात है। (ाोर व व्यवधान)

Mr. Speaker: Please take your seat.

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, इस तरह से ये हाउस का टाईम वैस्ट कर रहे हैं। (ाोर व व्यवधान)

एक आवाज: यह नौकरियों का सवाल है। (ाोर व व्यवधान) . .

Mr. Speaker: This is not to be recorded. (Noise & Interruptions).

तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

***1140. Shri Ram Bilas Sharma:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state the date on which the land for Bus Stand, Gurgaon was acquired together with the area of land and Khasra number of the acquired land?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. The communication received from the Minister concerned in this connection read as under:-

Interim Reply

राज्य मन्त्री,

"Ved Singh Malik Transport विभाग,

हरियाणा,

चण्डीगढ़।

दिनांक 3.9.1990

Subject: Reply to Starred Assembly Question No. 1140 due for reply on 4th September, 1990.

Respected Speaker Sahib,

The above starred question is due to be answered in the Vidhan Sabha on 4-9-1990. The reply to the above question involves details of acquisition be verified from the old records which are not available. It is, therefore, requested that an extension of three weeks may kindly be given for furnishing reply to this question.

With kind regards.

Yours sincerely,

-Sd-

(Ved Singh Malik)

Shri H.S. Chatha,

Hon'ble Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

Recruitment of Drivers and Conductors in Transport Department

***1192. Shri Udai Bhan:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state the number of Drivers and Conductors recruited in the Transport Department during the period from March, 1990 to-date togetherwith the number of persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes amongst them?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. The communication received from the Minister concerned in this connection read as under:-

Interim Reply

60-MT/90

राज्य मन्त्री,

"Ved Singh Malik Transport विभाग,

हरियाणा,

चण्डीगढ़ ।

दिनांक 3.9.19

Subject: Reply to Starred Assembly Question No. 1192-due on 4th September, 1990.

Respected Speaker Sahib,

The above starred Assembly Question is due on 4th September, 1990. The appointments of drivers and conductors are made by the General Manager of Haryana Roadways and this information has to be collected and compiled from 17 depots of Haryana Roadways in the State. It is, therefore, requested that the time limit for furnishing the reply to this question may kindly be extended by 15 days.

With kind regards.

Yours sincerely,

-Sd-

(Ved Singh Malik)

Shri H.S. Chatha,

Hon'ble Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

Appointment of Taxation Inspectors

***1169. Shri Bhag Mal:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) the number of Taxation Inspectors, if any, appointed in the Excise and Taxation Department during the month of April, 1990;

(b) the number of persons, out of those as referred to in part (a) above, belong to the categories of Scheduled Castes/Backward Classes and Ex-servicemen separately; and

(c) whether the appointments made, as referred to in part (a) above, are according to the reservation policy of the State Government; if not, the reasons thereof?

सहकारिता मन्त्री (श्री धीरपाल सिंह):

(क) अप्रैल, 1990 में आबकारी एवं कराधान विभाग में 88 कर निरीक्षकों को नियुक्त किया है।

(ख) अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग तथा भूतपूर्व सैनिकों की संख्या इस प्रकार है:–

(i)	अनुसूचित जाति	18
(ii)	पिछड़े वर्ग	9
(iii)	भूतपूर्व सैनिक	16

(ग) जी, हां।

श्री भाग मलः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन पोस्ट्स की ऐडवरटाइजमैंट कब हुई और उसमें कितनी–कितनी पोस्ट्स स्पेसीफाई की गई थी?

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, 1986 में ये पोस्ट्स ऐडवरटाइज हुई थी और उस समय एस0सी0 की 24, बी0सी0 की 10, ऐक्स सर्विसमैन की 17 और सामान्य की 45 थी। इस प्रकार टोटल पोस्ट्स 96 थी।

श्री भाग मलः अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि 1986 में जब पोस्ट्स ऐडवरटाइज हुई तो ये कम क्यों भरी गई। भाड्यूल्ड कास्ट्स को 24 पोस्ट्स थी, इनके अगेन्सट 18 भरी गई। बी0सी0 की 10 पोस्ट्स थी इनके अगेन्सट 9 भरी गई और ऐक्स सर्विसमैन की 17 पोस्ट्स थी लेकिन 16 भरी गई। ये पोस्ट्स कम क्यो भरी गई हैं?

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एस0एस0एस0 बोर्ड ने जो रिकमैन्ड किए उनको हमने लगा दिया।

श्री अध्यक्षः आपके पास एस0एस0एस0 बोर्ड ने जो लिस्ट भेजी, आपने उनको लगा दिया।

श्री धीर पाल सिंहः जी हां।

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में यह साल डा0 अम्बेडकर जन्म भाताब्दी साल के रूप में मनाया जा रहा है और इस साल में भाड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासिज के बैकलौग को पूरा करने की कोि ा ा की जा रही है। मन्त्री महोदय ने माना है कि भाड्यूल्ड कास्ट्स की 24 थीं लेकिन सिर्फ 18 लिए गए। मैं पूछना चाहता हूं कि कम क्यों लिए गए? ये तो बैकलौग को पूरा करने की बजाए बैकलौग को ज्यादा कर रहे हैं। क्या मन्त्री महोदय, इस हाउस की एक कमेटी बनाकर एस0एस0एस0 बोर्ड द्वारा जो धान्धली हो रही है उसकी इंक्वायरी करने के बारे में विचार करेंगे?

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि इस सरकार द्वारा बैकलौग को पूरा किया जा रहा है। पहले यह था कि अगर किन्हीं पोस्ट्स के लिए तीन बार ऐडवरटाइज करने के बाद भी भाड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासिज के कैंडीडेट्स नहीं मिलते थे तो उन पोस्ट्स के अगन्सट जनरल कैटेगरी के बच्चों को लगा लिया जाता था। जब चौधरी देवी लाल की सरकार आई तो उन्होंने सोचा कि इस तरह से तो इन लोगों के बच्चे नौकरी में बहुत कम आ पांएगे। चौधरी साहब ने अहसास किया कि अगर इस तरह से हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज की पोस्ट्स सामान्य में बदलते रहे तो हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका पूरा हक नहीं मिल पाएगा। इसलिए चौधरी साहब ने इस नीति को बदल दिया और एक नई

नीति बनाई जिसके तहत हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लिए जो पोस्ट्स हैं उनको इन्हीं वर्ग के लोगों द्वारा भरा जाएगा और इनको सामान्य पोस्ट्स में नहीं बदला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हम उसी नीति पर चल रहे हैं।

श्री रण सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, एस0एस0एस0 बोर्ड, हरियाणा पिछले तीन चार महीने से जिस तरह से काम कर रहा है, वह हम सब को विदित है। इस लिये हम उसकी फंक ानिंग पर आधे घण्टे की डिस्क ान चाहते हैं। क्या मन्त्री महोदय हमारी इस प्रार्थना पर विचार करेंगे?

श्री अध्यक्षः यह कोई सप्लीमैन्ट्री नहीं है।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने अपने विचार व्यक्त किये कि एस0एस0एस0 बोर्ड ने जो लिस्ट इनके पास भेजी थी, वैसे–वैसे अप्वायंटमैन्ट्स इन्होंने कर दी। मै इनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या एस0एस0एस0 बोर्ड कोई प्राईवेट कम्पनी है या कोई कीर्तन मंडली है जिससे इनका कोई सम्बन्ध ही नहीं है? यह क्या बात हुई कि जैसा उसने चाहा, इन्होंने कर दिया। आखिर विभाग वालों की भी कोई जिम्मेवारी होती है।

श्री अध्यक्षः यह कोई सप्लीमैन्ट्री नहीं है। डाक्टर साहब आप सवाल तो करते नहीं हैं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, जरा भूमिका भी तो बांधनी पड़ती है। मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लासिज के लोगों की तरफ से कुल कितनी ऐप्लीके ानज आई थी और उन में से कितनों की सिलैक ान हुई है?

श्री अध्यक्षः यह सूचना इनके पास नहीं है। यह इन्होंने पहले ही कहा है।

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि आज भी विभाग के पास 50 के करीब रिक्त स्थान हैं। जिन की पूर्ति बहुत जल्द ही की जा रही है और जो बैकलौग है, उसको तुरन्त ही पूर्ण किया जा रहा है।

कैप्टन अजय सिंहः अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी में मैक्सीमम ऐक्स–सर्विसमैन हैं लेकिन वहां से एक भी ऐक्साईज इन्सपैक्टर भर्ती नहीं किया गया है। क्या मन्त्री महोदय बातएंगे कि इसके क्या कारण हैं?

श्री अध्यक्षः यह तो एस0एस0एस0 बोर्ड ने सिलैक ान की है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया कि सभी की सिलैक ान मैरिट के आधार पर की गयी है चाहे कोई दिल्ली से, राजस्थान से या हरियाणा से था, किसी के साथ भेदभाव की नीति नहीं बरती गयी है। मैं मन्त्री महोदय से

यह जानना चाहता हूं कि क्या हरियाणा, दिल्ली या राजस्थान व दूसरे प्रदे ाों से इनको बैकवर्ड क्लासिज और भाड्यूल्ड कास्ट्स के लाग ही अवेलेबल नहीं हुए जिसके कारण से 50 के करीब स्थान अभी भी रिक्त पड़े हैं? क्या इन अनियमिततओं के अन्तर्गत एस0एस0एस0 बोर्ड को भंग करने की बात सरकार के विचाराधीन है?

श्री अध्यक्षः यह कोई सप्लीमैन्ट्री नहीं है।

श्री कैला ा चन्द भार्माः अध्यक्ष महोदय, दक्षिण हरियाणा यानि महेन्द्रगढ़ व रिवाड़ी जिलों में भूतपूर्व सैनिकों का गढ़ है लेकिन वहां से इनकी कोई भी भर्ती नहीं की गयी है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर इन पदों के योग्य कोई व्यक्ति ही नहीं है या किसी ने कोई ऐग्जाम ही पास नहीं किया है? क्या मन्त्री जी स्थिति स्पश्ट करेंगे?

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, जिलावाइज ऐसी कोई भर्ती नहीं थी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए टोटल 17 पोस्टें थी। सभी को नियुक्ति की औफर की गयी थी लेकिन इनमें से 16 ने जवाइन कर लिया एक ने नहीं किया। मैरिट के हिसाब से नियुक्तियां की जाती हैं। चाहे कोई महेन्द्रगढ़ से है, चाहे कोई कोसली से है या रोहतक से है।

राव राम नारायणः बिल्कुल गल्त है। कोसली का कोई नहीं है। (ाोर)

श्री धीर पाल सिंहः मैंने लेने की बात नहीं बल्कि यह कह रहा हूं कि मैरिट पर लिए गए हैं। (ाोर)

श्री भगवान सहाय रावतः स्पीकर साहब, अभी मन्त्री जी ने बताया कि योग्यता के आधार पर सिलैक ान की गई है। फरीदाबाद जिला योग्यता के आधार पर नम्बर वन पर आता है। इस बात को देखते हुए क्या वहां पर डिजनी लैंड बनाने के अलावा कोई और ऐजूके ानल सैंटर उपलब्ध करवाया जाएगा।

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, इस प्र न में किसी डिस्ट्रिक्ट का सवाल नहीं है।

श्री आत्मा राम गोदाराः अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री जी बताएंगे कि एस0एस0एस0 बोर्ड द्वारा जो भर्ती होती है वह जिले के आधार पर होती है या मैरिट के आधार पर होती है?

श्री धीर पाल सिंहः मैरिट के आधार पर होती है।

श्री परमा नन्दः स्पीकर साहब, अभी मन्त्री जी ने बताया था कि चौधरी देवी लाल जी की यह नीति थी कि पिछड़े वर्गों और हरिजनों का कोटा पूरा किया जाए। इन्होंने यह भी कहा था कि सरकार बैकलौग को पूरा करेगी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब 86 सीटों के लिए ऐडवरटाइजमैंट हुई थी तो इन्होंने अप्वायंटमैंट 88 लोगों की क्यों की है? जो दो सीटें फालतू भरी गई हैं इससे तो ये ऐक्स सर्विसमैन, बैकवर्ड क्लासिज या हरिजनों

को उनके हक से डिप्राइव कर हरे हैं। क्या इसमें सुधार करने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी?

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, 1986 में 96 पदों की ऐडवरटाइजमैंट हुई थी। मेरे साथी कहां से फिग्गर पढ़ रहे हैं, इसका मुझे ज्ञान नहीं है।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, इस सिलेक ान के बारे में ि ाकायतों को देखते हुए क्या मन्त्री जी एस0एस0एस0 बोर्ड और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमी ान द्वारा की गई सिलैक ान की जांच के लिए कोई कमी ान या हाउस की कमेटी नियुक्त करेंगे?

Mr. Speaker: This is not the question. Please take your seat. (Interruptions).

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, पिछले सवाल पर आपने फर्माया था कि अगला सवाल भी इसी से संबंधित है। पिछले सवाल पर हम तीन विधायकों ने रिकवैस्ट की थी कि उस पर आधे घण्टे की चर्चा की जाए। आपने कहा था कि अगला सवाल भी इसी विशय पर है, आप उस पर सवाल पूछ लेना लेकिन मन्त्री जी इस सवाल का जवाब भी ठीक ढंग से नहीं दे रहे हैं। इसलिए आप इस मामले पर आधे घण्टे की चर्चा अलाऊ कर दें।

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, ये बार–बार हाफ ऐन आवर डिस्क ान की बात कर रहे हैं। हमारे रूल्ज आफ

प्रोसीजर एंड कंडकट औफ बिजनैस की किताब के पेज 34 पर सब रूल (2) औफ रूल 57 में साफ लिखा है–

"A member wishing to raise such a matter shall give notice in writing to the Secretary one day in advance on which the matter is desired to be raised....."

Mr. Speaker: That is also one of the reasons why it has been rejected.

Shri Ram Bilas Sharma: Sir, my friend Home Minister has quoted some rule from the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly. I also want to make a submission in your service. I would like to draw your attention to Rule 57 which is categorical in this regard. If the Minister cannot satisfy the House, then half-an-hour descussion can be permitted by the Presiding Officer. You can allow it. The House is not satisfied and we have given a proper notice.

Mr. Speaker: Please sit down. I have decided it. I would not allow it. (Interruptions). Now everybody may please take his seat.

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह): स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने संतोशजनक जवाब दिया है। इन्होंने कहा है कि रिजर्वे ान का जो भी कोटा रह गया है, हम उसको पूरा करेंगे।

Re-merging of villages in district Karnal

***1130. Seth Lachman Dass Bajaj:** Will the Revenue Minister be pleased to state whether there is any proposal

under consideration of the Government to re-merge the villages of Tehsil Assandh in District Karnal?

राजस्व मंत्री (श्री तैययब हुसैन): जी, हां।

10.00 बजे

सेठ लछमन दास बजाजः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तहसील असन्ध के कुछ गांवों को जिला करनाल में पुनः कब से मिलाया जाएगा? इसके साथ–साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या प्रौपर असंध को भी जिला करनाल में मिलाने का सरकार का कोई विचार है?

श्री तैयब हुसैनः मोहतरिम स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मोहतरिम सदस्य को बताना चाहूंगा कि आजकल जनगणना चल रही है जो 30 जून, 1991 तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद जिन–जिन गांवों की तरफ से जिस–जिस तहसील, सब–तहसील, डिवीजन और सब–डिवीजन में रहने के लिए रैजोल्यू ान और रिकमैंडे ांज आई हुई है उन पर गौर करके लोगों की सहूलियत और ख्वाहि ाात के मुताबिक उनको ऐडजस्ट कर दिया जाएगा।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, ऐसे कई गांव हैं जिनका जिला यमुनानगर है और एस0पी0 कुरूक्षेत्र बैठता है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि इस समस्या को कब तब ठीक कर दिया जाएगा क्योंकि ऐसा होने से उन गांवों के लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं?

Mr. Speaker: This question relates to Assandh Tehsil. It is not possible for the Hon'ble Minister to remember all the villages of the State.

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, जिलों का पुनर्गठन करते समय बहुत ज्यादा गलतियां हो गई हैं जिनके कारण लोगों को बहुत ज्यादा परे ाानियों का सामना करना पड़ रहा है।

श्री तैयब हुसैनः मोहतरिम स्पीकर साहब, माननीय सदस्य का सवाल रैलेवैंट तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं इनको बता देता हूं कि यदि ऐसी कोई बात सरकार के नोटिस में लाई जाएगी तो उस पर जरूर गौर किया जाएगा?

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिला पुनर्गठन समिति द्वारा जिलों का पुनर्गठन करते समय किसी जिले या किसी तहसील के गांवों को किसी दूसरे जिले में जोड़ने से जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को ठीक करने के बारे में सरकार क्या कदम उठाएगी?

श्री तैयब हुसैनः मोहतरिम स्पीकर साहब, मैंने अभी बताया है कि यदि ऐसी कोई बात सरकार के नोटिस में लाई जाएगी तो उस पर जरूर गौर किया जाएगा।

सेठ लछमन दास बजाजः स्पीकर साहब, असन्ध म्यूनिसिपल कमेटी ने यह लिख कर भेज दिया है कि असन्ध प्रौपर

को जिला करनाल में मिलाया जाए। इस बारे में सरकार क्या विचार कर रही है?

श्री तैयब हुसैनः मोहितरिम स्पीकर साहब, आजकल जनगणना चल रही है। जनगणना के बाद ही इस बारे में विचार विम र्श करके कोई डिसीजन लिया जाएगा।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, इस तरह से जनगणना ही गलत हो जाएगी क्योंकि इस समय एक गांव करनाल जिले में है, दूसरा पानीपत जिले में है और तीसरा यमुनानगर में है।

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह): स्पीकर साहब, मैं इस बारे में स्थिति स्पश्ट कर देता हूं। जो चार नए जिले बनाए गए हैं उनके बारे में कई गांवों के लोगों की तरफ से दरख्वास्तें आई हैं कि उनके गांवों को फलां जिला, फलां तहसील और फलां सब–डिवीजन में जोड़ा जाए। उनकी यह बात जायज भी है। जनगणना के लिए भारत सरकार की ओर से चिट्ठी आई हुई है कि जनगणना पूरी होने तक सभी गांवों को एज इट इज रखा जाए। जनगणना के बाद लोगों ने जो अपनी इच्छा जाहिर की है उसी हिसाब से उनको ऐडजस्ट कर देंगे।

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, जिन–जिन गांवों को जिला पुनर्गठन समिति द्वारा एक दूसरे जिलों में बदल दिया गया था उसके कारण उन गांवों के लोगों को काफी परे ाानी हो रही है। अब फिर मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जिन–जिन गांवों

के लोगों की तरफ से जिस–जिस जिला, तहसील, सब–तहसील, डिवीजन और सब–डिवीजन में मिलाए जाने के बारे में दरख्वास्ते आई हैं उन पर गौर किया जाएगा और लोगों को उनकी ख्वाहि ा के हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाएगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब जिन–जिन एरियाज को बदनले की बात है वह जिला पुनर्गठन समिति की रिकमैंडे ान पर बदले जाएंगे या सरकार सुओमोटो बदलेगी?

श्री तैयब हुसैन: मोहितरिम स्पीकर साहब, इस बारे में मैं माननीय सदस्यों को बता चुका हूं कि आजकल जनगणना चल रही है और जनगणना का काम 30 जून, 1991 तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद लोगों की तरफ से जो रैजोल्यू ान आए हुए हैं उन पर गौर किया जाएगा। उन पर गौर करने के बाद लोगों की सहूलियत और ख्वाहि ाात को ध्यान में रख कर उनको ऐडजस्ट किया जाएगा।

Production of Country made Liquor

***1187. Shri Surinder Kumar Madan:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) the target fixed for the preduction of country made liquor in the State during the years 1988-89 and 1989-90, separately togetherwith the quantity of said liquor produced during the aforesaid period;

(b) the target fixed for the production of country made liquor during the period from 1st April, 1990 to 31st July, 1990; and

(c) the quota of said liquor fixed for sale by the liquor vends auctioned for the year 1990-91 in the State?

सहकारिता मंत्री (श्री धीर पाल सिंह): विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) वर्श 1988–89 तथा 1989–90 के लिए देसी भाराब के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। यद्यपि इस समय के दौरान देसी भाराब का उत्पादन तथा कोटा निम्न प्रकार से रहा है:–

वर्श	कोटा प्रूफ लीटरों में	उत्पादन प्रूफ लीटरों में
1988–89	1,85,00,000	1,88,15,763
1989–90	2,12,00,000	2,13,11,176

(ख) वर्श 1990–91 के लिए देसी भाराब जिसमें रम तथा जिन भी भाामिल है, का उत्पादन लक्ष्य 243.93 लाख प्रूफ लीटर निर्धारित किया गया है तथा देसी भाराब जिसमें रम व जिन भाामिल है, का उत्पादन दिनांक 1–4–90 से 31–7–90 तक 75,16,677 प्रूफ लीटर है।

(ख) वर्श 1990–91 के लिए देसी भाराब जिसमें रम तथा जिन भी भाामिल है, का भाराब के ठेकेदारों द्वारा बिक्री का कोटा 240 लाख प्रूफ लीटर है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सदन के पटल पर जो सूचना रखी हैं उसके मुताबिक वर्श 1988–89 में जो भाराब का उत्पादन था उसके मुकाबले वर्श 1990–91 में 30 परसैंट बढ़ौतरी हुई है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस समय के दौरान कोई नई फैक्टरी लगाई गई है जिसके कारण भाराब के उत्पादन में 30 परसैन्ट की बढ़ौतरी हुई है। मैं यह चाहता हूं कि भाराब का कोई गलत उत्पादन न हो जाए जिसके कारण कोई दुर्घटना हो जाए जिस प्रकार से पहले भिवानी और कालांवाली में हुई थी। यदि ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके समाधान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, जिन फैक्ट्रियों में देसी या विदे ाी भाराब बनती है, वहां पर कोई दुर्घटना न हो यह अलग सवाल है। मेन प्र न यह था कि वर्श 1988–89 और 1989–90 के लिए भाराब का कितना कोटा फिक्स किया गया था? मैं इनको बताना चाहूंगा कि पहले कोटा फिक्स नहीं होता था। अब हमने ऐक्साइज पालिसी के तहत देसी भाराब बनाने के लिए 243.95 लाख प्रूफ लीटर का लक्ष्य चालू साल के लिए रखा है। मैं

इनको यह वि वास दिलाता हूं कि हिसार, यमुना नगर और पानीपत में जितनी भी भाराब बनती है वह हम सारी खरीदते हैं।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि अगर 30 प्रति ात उत्पादन बढ़ेगा तो यह जरूरी है कि क्वालिटी के अन्दर कोई न कोई कमी जरूर जाएगी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस कमी को दूर करने के लिए कोई कदम उठउए जाएंगे ताकि भाराब की क्वालिटी में कोई कमी न आये?

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि मांग को देखते हुए ही हमने रोहतक और भााहबाद भाूगर मिलों को देसी भाराब बनाने के लिए अपनी तरफ से तो एन0ओ0सी0 जारी कर दिया है और साथ ही इन दोनों मिलों को कहा गया है कि वे केन्द्र सरकार से भाराब बनाने के लिए लाईसैंस प्राप्त कर लें।

श्री रतन लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि भाराब बनाने के उत्पादन में 30 प्रति ात की वृद्धि कर दी गई है। जिस समय विभाग अपनी भाराब की पालिसी बनाता है उस समय क्या विभाग अपनी इंकम को ही ध्यान में रखते हुए इस तरह की पालिसी बनाता है या इस नजरिये को भी देखता है कि भाराब की मात्रा बढ़ाने से आने वाले समय में

हरियाणा में किस प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण होगा। क्या इस बात का ध्यान भी रखा जाता है या नहीं?

श्री अध्यक्षः इस बात का तो आपको भी पता है।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन्होंने जवाब में बताया है कि देसी भाराब के उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाया गया है क्या यह नीति वैल्फेयर स्टेट की जो कल्पना हमारे संविधान में की गई है उसके विरूद्ध नहीं है? क्या इस बारे में आपस में कन्ट्राडिक ान नहीं है?

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं कि ज्यों–ज्यों मांग बढ़ती है उसी अनुसार नीति बनाते समय साल के भ्रुरू में ही कोटा फिक्स कर दिया जाता है। जब बोली होती है तो बोली के समय यह भी सूचित किया जाता है कि इस साल इतनी भाराब बनाने का लक्ष्य है और इसके लिए इतना कोटा निर्धारित किया गया है। फिर उसी नीति के आधार पर बोली की जाती है। जहां तक प्रौग्रैसिव स्टेट की बात इन्होंने कही है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि हमारी मैक्सिमम इंकम ऐक्साईज डिपार्टमैंट से ही होती है।

कामरेड हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने जवाब में बताया है कि जितनी भाराब यहां के तीन स्थानों पर बन रही है वह सारी की सारी खरीद रहे हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ज्यों–ज्यों हम प्रोडक ान बढ़ा रहे हैं उसी

हिसाब से पोल्यू ान भी बढ़ रहा है। यह ठीक है कि प्रोडक ान बढ़ाने के साथ–साथ हम अपनी इंकम भी बढ़ा रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या प्रोडक ान के साथ–साथ जो पोल्यू ान बढ़ रहा है उसका भी ध्यान रखा जाएगा क्योंकि हिसार में जब श्रीमती मेनका गांधी जी आई थी तो पोल्यू ान बढ़ने की बात उनके नोटिस में लाई गई थी?

Mr. Speaker: Please take your seat.

श्री परमा नन्द: अध्यक्ष जी, हमारे यहां पर जितनी देसी भाराब की खपत होती है वह हरियाणा की तीनों डिस्टिलरीज से पूरी होती है और इनमें जितनी भी भाराब तैयार होती है वह हम भात प्रति ात खरीदते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन तीनों डिस्टिलरीज की भाराब बनाने की कुल कितनी कैपेसिटी है? दूसरे जो मात्रा अब हम बढ़ा रहे है। क्या ये तीनों डिस्टिलरीज उस कैपेसिटी को पूरा कर पायेंगी। यानि बढ़ी हुई मात्रा इन की कुल लिमिट में आती है या नहीं?

श्री धीर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यमुना नगर डिस्टिलरी की भाराब बनाने की कैपेसिटी 7 हजार किलोलीटर है, पानीपत डिस्टिलरी की 4500 किलोलीटर है और हिसार डिस्टिलरी की 7500 किलोलीटर भाराब बनाने की कैपेसिटी है।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने भाराब के लिए कोई टारगेट फिक्स किया है कि कितनी भाराब बढ़ानी है और कितने ठेके खोलने हैं क्योंकि रोहतक और भााहबाद में भी भाराब बनाने के लिए एन0ओ0सी0 सरकार ने दे दिया है। अब वहां पर भी भाराब बननी भाुरू हो जाएगी?

Mr. Speaker: This is no supplimentary.

श्री अनिल कुमार विजः अध्यक्ष मोहदय, मन्त्री महोदय ने कल बताया था कि यदि पंचायत रैजोल्यू ान पास कर देती है कि गांव में भाराब का ठेका न खोला जाए तो वहां पर ठेका नहीं खुलता है। मैं आदरणीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यदि कोई नगरपालिका इस प्रकार का प्रस्ताव पास कर के देती है तो वहां पर ठेका न खोलने के बारे में क्या नीति है?

श्री अध्यक्षः इन्होंने इस बारे में और आसपैक्ट्स भी बताए थे।

श्री बलबीर सिंहः स्पीकर साहब, मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब हरियाणा के अन्दर संघर्श चल रहा था (विध्न)

Mr. Speaker: Please put a precise question.

श्री बलबीर सिंहः स्पीकर साहब, प्र न दो तरह के होते हैं। सब्जैक्टिव और ओब्जैक्टिव (विध्न)। स्पीकर सर, मुझे जरा

अर्ज तो करने दीजिए। (विध्न) स्पीकर साहब, जब चौधरी देवी लाल . . . (विध्न)

Mr. Speaker: This is no supplementary. I would not allow such supplementaries.

(At this stage, many members rose to ask supplementaries)

Mr. Speaker: No more supplementaries on this question. Next question, Mr. Bhagwan Sahai Rawat.

Primary Health Centre, Aurangabad

***1150. Shri Bhagwan Sahai Rawat:** Will the Minister of State for Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Primary Health Centre, Aurangabad to Community Health Centre?

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to open a new Primary Health Centre at Village Nangal Jat in Hathin Constituency; and

(c) if so, the time by which the aforesaid Primary Health Centre is likely to be opened?

चिकित्सा ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती मेधावी कीर्ति):

(क) नहीं जी।

(ख) पहले ही वर्श 1985–86 में स्थापित किया जा चुका है।

(ग) प्र न ही पैदा नहीं होता।

श्रभ भगवार सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, प्र न के लिखित उत्तर में मन्त्री जी ने भाग ''क'' का जवाब दिया है, 'नहीं जी'। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि जब औरंगाबाद सारे क्राईटेरिया को पूरा करता है तो फिर किस कारण से वहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अपग्रेड नहीं किया गया है?

श्रीमती मेधावी कीर्तिः अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि भारत सरकार ने एक राश्ट्रीय नीति चलाई हुई है जिसके अनुसार 5 हजार तक की जनसंख्या के लिए एक सब–सैन्टर यानि उप–केन्द्र खोला जाता है। 30 हजार की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाता है। 1.20 लाख की जनसंख्या पर या 4 प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज के ऊपर एक सी0एच0सी0 यानि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाता है जिला फरीदाबाद में पहले ही एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है तथा हथीन में इस साल एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापति किया जाएगा। इसके अलावा कुराली में भी एक सी0एच0सी0 है। इस लिए इस साल औरंगाबाद के प्राईमरी हैल्थ सैन्टर को कम्यूनिटी हैल्थ सैन्टर में अपग्रेड करने का विचार नहीं है।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाए जाने के लिए सारे क्राईटेरिया को पूरा करता है। वहां की आबादी भी 40 हजार है और वहां से होडल तथा पलवल का डिस्टैंस भी 27 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि क्या सारा क्राईटेरिया पूरा करने के बाद भी इस प्राईमरी हैल्थ सैन्टश्र को सी0एच0सी0 में अपग्रेड करने बारे विचार करेंगी?

श्रीमती मेधावी कीर्तिः अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे पास सूचना आई है औरंगाबाद का होडल से डिस्टैंस 14 किलोमीटर है। स्पीकर साहब केवरल औरंगाबाद की आबादी यदि 30 या 40 हजार की है और उनके आस–पास 3–4 और पी0एच0सीज0 हैं तो फिर इस बारे जरूर विचार करेंगे।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, मैं आदरणीय मन्त्री महोदया से जानना चाहूंगा कि वर्श 1990–91 में हरियाणा के अन्दर कितने प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्ज खोले जाएंगे? अगर डिस्ट्रिक्टवाईज ब्यौरा मिल सके तो ज्यादा बेहतर है।

श्री अध्यक्षः यह बता सकना पोसिबल नहीं है।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, वर्श 1985–86 में नांगल जाट में प्राईमरी हैल्थ सैन्टर खोला गया था लेकिन अभी तक इस का भवन नहीं बना है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि वर्श 1985–86 से आज तक

जितने प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्ज बनाए गए हैं, क्या उनके भवन निर्माण कर दिए गए हैं?

श्रीमती मेधावी कीर्तिः अध्यक्ष महोदय, पहले जो प्र न यहां पर आया था मैं उसका उत्तर देना चाहती हूं। वर्श 1990–91 में सरकार की 29 प्राईमरी स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना है। अगर आप डिस्ट्रिक्टवाईज पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से नोटिस देना पड़ेगा। दूसरे माननीय सदस्य से मेरा आग्रह है कि वे अपना प्र न दोहरा दें।

श्री भगवान साहय रावतः स्पीकर साहब, मेरे सवाल के पार्ट ''बी'' के जवाब में मंत्री महोदया ने यह कहा है कि नांगल जाट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले ही वर्श 1985–86 में खोला गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज 1990–91 का वर्श चल रहा है लेकिन अभी तक इसकी अपनी बिल्डिंग नहीं बनी है। यह वहां पर चौपाल में चल रहा है। इसके साथ खोले गये अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बिल्डिंग के बारे में स्टेट में क्या पोजी ान है?

श्रीमती मेधावी कीर्तिः यह बात ठीक है कि यह स्वास्थ्य केन्द्र 1985–86 में खोला गया था। यह वित्त मंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है कि कब वे हमें फंडज देंगे। ज्यों ही वे फंडज देंगे, हम वहां पर बिल्डिंग बना देंगे।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकार साहब, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि इनके मंत्रालय ने क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है कि कहां पर 5,000 कहां 30,000 और कहां 1.20 लाख की आबादी है। अगर स्वास्थ्य केन्द्र खोलने से पहले कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया तो क्या इसकी कराने का प्रबन्ध करेंगे ताकि यह पिक एंड चूज की नीति बन्द हो सके?

श्रीमती मेधावी कीर्तिः अध्यक्ष महोदय, सर्वेक्षण करने के बाद ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाते हैं। पिक एंड चूज की सरकार की कोई नीति नहीं है।

श्री रतन लाल कटारियाः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को इस बारे में कोई ि ाकायतें मिली हैं कि कुछ हस्पतालों में ऐक्स–रे प्लांट जो लगे हुए हैं, वे अक्सर खराब रहते हैं?

श्री अध्यक्षः कटारिया साहब, यह ऐक्स–रे प्लांट्स की बात नहीं है। आप कहां चले गये?

श्री रतन लाल कटारियाः स्पीकार साहब, मेरा सवाल बड़ा इम्पोर्टैंट है।

Mr. Speaker: No, Please take your seat.

श्री बलबीर सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में तो कोई सर्वेक्षण करने के लिये आया ही नहीं और आने वाले

तीन सालों में हमारे यहां कोई भी स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना नहीं है। क्या वे बताएंगे कि इसका क्या कारण है?

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया।)

Construction of District Jail, Mahendergarh

***1174. Shri Kailash Chand Sharma:** Will the Minister for Jails be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new building for a district Jail at Mahendergarh;

(b) whether the land for the said building has been acquired; if so, the location thereof; and

(c) whether the compensation of the said land has been paid to the owner of the land/institution?

जेल राज्य मंत्री (श्री देस राज):

(क) नहीं।

(ख)

प्र न ही नहीं उठता।

(ग)

श्री कैला ा चन्द भार्मा: स्पीकर साहब, क्या यह बात इनकी जानकारी में है कि नारनौल में नसीबपुर ग्राम पंचायत की

जमीन को जेल के लिये ऐक्वायर किया गया था और इस बारे में दफा 4 का नोटिफिके ान भी हुआ था?

श्री देस राजः स्पीकर साहब, नारनौल में डिस्ट्रिक्ट जेल के लिये 1985–86 में 107 कनाल 12 मरले जमीन ऐक्वायर की गयी थी। फंड्ज की कमी की वजह से वह नोटिफिके ान लैप्स हो गया। अब सरकार के विचाराधीन एक और प्रोपोजल है। जल्द ही इस बारे में नोटिफिके ान जारी करेंगे।

श्री कैला ा चन्द भार्माः स्पीकर साहब, मेरे सवाल के लिखित जवाब में इन्होंने यह कहा है कि नहीं, प्र न ही नहीं उठता। जिला महेन्द्रगढ़ का नारनौल डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है। वहां पर जेल नहीं है। अब ये बता रहे हैं कि वहां पर जेल के लिये जमीन ऐक्वायर की गयी थी। नारनौल महेन्द्रगढ़ जिले का डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है। डिस्ट्रिक्ट जेल के लिये वह जमीन ऐक्वायर की गयी थी। क्या वे बताएंगे कि तीन साल से सरकार क्या कर रही है?

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह): इन्होंने यह नहीं कहा है जिला महेन्द्रगढ़ के लिये जमीन ऐक्वायर की गयी थी। महेन्द्रगढ़ जिले में तो पहले ही जेल है। मंत्री जी ने जो कहा है, वह यह है कि जमीन ऐक्वायर करने के लिये नारनौल में नोटिफिके ान हुआ था। वहां पर हमारी जेल बनाने की योजना है।

श्री कैला ा चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत की जो जमीन लीज पर दी जाती थी, पिछले तीन साल से बल्कि 1985 से उसको लीज पर देने के लिए मना कर दिया है। इससे ग्राम पंचायत को पन्द्रह हजार रुपए सालाना का नुकसान हो रहा है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत को कब तक पैसा दे दिया जाएगा?

श्री देस राज: मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात हमारे नोटिस में नहीं है। अगर ऐसी बात होगी तो उसके लिए कार्यवाही की जाएगी।

कामरेड हरपाल सिंह: क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में कितनी और जेलें निर्माण करने का सरकार का विचार है?

Mr. Speaker: Comrade Sahib, please take your seat.

श्री कैला ा चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, आज से पन्द्रह दिन पहले महेन्द्रगढ़ जिलाधी ा की तरफ से नसीबपुर ग्राम पंचायत को एक पत्र लिखा गया था कि अपनी जमीन को लीज पर न दें, यहां पर जेल बनेगी। लेकिन मन्त्री महोदय ने कहा है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या मन्त्री महोदय इस बात को क्लीयर करने की कृपा करेंगे?

श्री हुकम सिंहः यह कब कहा है? अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमने लगभग 107 कनाल जमीन लेने और कम्पनसे ान देने के लिए दस लाख रुपया रखा है।

Repair of Damaged Roads

***1161. Shri Rattan Lal Kataria:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the damaged roads in the State; and

(b) if so, the time by which the roads as referred to above are likely to be repaired?

लोक निर्माण मंत्री (श्री जगन नाथ):

(क) हां।

(ख) समय की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। मरम्मत का कार्य धन की उपलब्धि के ऊपर निर्भर है।

श्री रतन लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की राजनीति में जो कुछ बदनाम चेहरे थे उनकी कार्य ौली इतनी खराब थी कि हरियाणा की खराब सड़कों को देखकर उनकी याद आ जाती है।

श्री अध्यक्षः आप गाना गा रहे हैं या सवाल कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि आप गाना गा रहे हैं। आप कृपया सीधा सवाल करिए।

श्री रतन लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर वाले इम्प्रै ान को दूर करने के लिए क्या मन्त्री महोदय पी0डब्ल्यू0डी0 को ज्यादा रुपया देकर और बजट में ज्यादा धनरा ि ा का प्रावधान करके जो डैमेज्ड सड़कें हैं और जिनकी हालत खराब है उनकी रिपेयर करवाएंगे?

श्री जगन नाथः अध्यक्ष महोदय, कटारिया साहब, ऐसे बोल रहे है। जैसे कि भााखा में बोल रहे हों। इसी सदन में सात आठ महीने पहले डा0 साहब और भार्मा साहब इस तरफ बैठा करते थे और हमारी पार्टी ाके स्पोर्ट किया करते थे। (ाोर एवं व्यवधान) हमारी पार्टी का वि ोश कुछ नहीं बदला। जब इस सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया था तो ये कहते थे कि यह सरकार बहुत अच्छी है। (ाोर एवं व्यवधान) लेकिन आज ये लोग इस सरकार की नुक्ताचीनी कर रहे हैं। जो बदनाम लोग थे, वे हमने निकाल दिए। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, –

Mr. Speaker: Kataria Sahib, please take your seat. I will not allow like this. Let the Hon. Minister complete. (Interruptions).

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, इन्होंने जो बदनाम लोग भाब्द प्रयोग किये हैं, वे रिकार्ड न करवाए जाएं। माननीय मन्त्री जी मन्त्री की हैसियत से जवाब दें। अगर तैयारी नहीं है तो समय मांग लें।

श्री अध्यक्ष: जगन नाथ जी, जवाब टू दि प्वायंट आना चाहिए।

श्री जगन नाथ: अध्यक्ष महोदय, सड़कों की मरम्मत के लिए वर्श 1990–91 के लिए हमें साठ करोड़ रुपया चाहिए लेकिन पैसे के अभाव के कारण इस साल हम 16 करोड़ 90 लाख रुपया खर्च करेंगे। पहले चौटाला साहब थे, उसके बाद एक मास्टर जी आए और उसके बाद दूसरे मास्टर जी आए। यह फैसला किया गया कि पांच करोड़ रुपया मार्किटिंग बोर्ड से लोन लेकर इन सड़कों की मरम्मत की जाए। अध्यक्ष महोदय, जितने पैसे की आव यकता है उतना पैसा नहीं है। (ाोर एवं व्यवधान)

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, –

Mr. Speaker: Comrade Sahib, this question relates to Mr.s Kataria. So he has got the preference to ask the supplementaries.

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने कहा है कि पांच करोड़ रुपया मार्किटिंग बोर्ड ने लिया गया जो इनका महकमा नहीं है? अध्यक्ष महोदय, जब उनसे कहते हैं तो ये

मार्किटिंग बोर्ड का नाम लेते हैं और जब मार्किटिंग बोर्ड से इस बारे में पूछते है। तो वे पी0डब्ल्यू0डी0 का नाम लेते हैं। इस तरह से मामला बीच में लटका हुआ है। क्या मन्त्री महोदय स्पेसिफिक जानकारी देने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन साल में सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार ने बजट में कितनी धनरा ि रखी थी?

श्री अध्यक्षः यह बताना पौसीबल नहीं है।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल से हरियाणा में सड़कों की हालत बहुत ही खराब रही है। इस बुरी आदत को देखते हुए क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार से अनुदान के रूप में या बजट में जितनी रा ि का प्रावधान है उससे अतिरिक्त पैसा देकर सड़कों की मरम्मत करने का सरकार विचार करेगी?

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, हमने 1988–89 में केन्द्र सरकार से 18 करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन हमें केवल साढ़े चार करोड़ रुपया ही दिया गया था। 31 अगस्त तक स्टेट के अन्दर जो सड़के फ्लड वगैरह के कारण टूटी थी, वे 465 सड़कें थी और बाद में जो बरसात हुई, उसके कारण भी कल को और सड़कें टूट सकती हैं। इसके लिये हमने 5 करोड़ 46 लाख रुपये की मांग केन्द्र सरकार से और की है। जब वह रा ि हमें मिल जाएगी तो हम सड़कों की मरम्मत का काम करवा देंगे।

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, सचमुच में सारे हरियाणा के अन्दर सड़कों की हालत बहुत खराब है। सड़कों के पास की जगह ऊंची होने के कारण वहां पर पानी रूक जाता है जोकि पैचिज और कारपैंटिंग को खराब करता है। अगर पी0डब्ल्यू0डी0 ने इस ओर ध्यान दिया तो बरसात के पानी के कारण सड़कों की और बुरी हालत हो जाएगी। तो क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि सड़कों पर पानी न रूके, इसके लिये कोई प्रबन्ध किया जाएगा?

श्री जगन नाथः अध्यक्ष महोदय, जहां–जहां से इस तरह की मांग आती जाएगी, वहां–वहां पर काम करवाते रहेंगे। भाई वीरेन्द्र सिंह जी के हल्के वासा व खांडा के बीच में सड़कें खराब हैं और इसी तरह से बवानीखेड़ा और हांसी के बीच में सड़कों की हालत पानी आने की वजह से खराब है जिनको हम जल्दी ही रेज कर रहे हैं। बाकी कई हल्कों के अन्दर भी ऐसी ही समस्याएं हैं लेकिन इसके लिये हमें नहर विभाग वालों से भी कहना पड़ेगा क्योंकि वे सड़कों के साथ–साथ नहरें बना देते हैं, जिस कारण से नहरें टूटने पर हमारी सड़कों को भी क्षति पहुंचती है। इस और वि ोश ध्यान रखा जा रहा है।

श्री हरनाम सिंहः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अन्दर बहुत सारी सड़कें टूटी हुई हैं और मन्त्री महोदय भी मानते हैं कि उनकी रिपेयर होनी चाहिये लेकिन पैसे की कमी के कारण उन्होंने असमर्थता प्रकट की है। अब सरकार ने भाहरों की जो सड़कें टूटी

हुई हैं, जिनकी मरम्मत जरूरी है, उनके लिये मार्किटिंग बोर्ड से पैसा लिया है ताकि भाहरी सड़कों की मरम्मत करवायी जा सके। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी स्कीम भी सरकार के विचाराधीन है जिसके तहत देहातों के अन्दर जो ऐप्रोच रोडज हैं, उनकी मरम्मत भी किसी ऐसी ही ऐजन्सी से लोन लेकर करवाई जा सके ताकि लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो?

श्री जगन नाथः अध्यक्ष महोदय, हमने केवल मार्किटिंग बोर्ड से भाहरों की सड़कों की मरम्मत के लिये ही 5 करोड़ रुपये की रा ि ज्ञ उधार ली है न कि म्यूनिसिपल कमेटियों की सड़कें बनाने के लिये पैसा उधार लिया गया है।

S.Y.L. Canal

***1156. Shri Harnam Singh:** Will the Minister for Home be pleased to state the progress, if any, made in the construction of S.Y.L. Canal during the period from 1st December, 1989 to 31st July, 1990 togetherwith the time by which it is likely to be completed?

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): सतलुज लिंक नहर के विभिन्न पहलुओं की कार्य की प्रगति 1–12–89 से 31–7–90 तक इस प्रकार है:–

1.	भूमि	कुल अभिग्रहण 4015.76 में से 150 एकड़

	अभिग्रहण	भूमि इस सयम में अभिग्रहण की गई है।
2.	मिट्टी का कार्य	कुल पूरे किये गये 449.79 लाख क्यूमज में से 26.21 लाख क्यूमज मिट्टी का कार्य इस समय के दौरान पूरा किया गया है।
3.	लाईनिंग	कुल पूरे किये गये 50.650 लाख वर्ग मीटर में से 0.895 वर्ग मीटर कार्य इस समय में पूरा किया गया है।
4.	मध्य क्रास जल निकास कार्य (संख्या में)	कुल 37 पूरे किये गये कार्य में से 2 इस समय में पूरे किये गये।
5.	पुल (संख्या में)	कुल 62 पूरे किये गये कार्य में से 7 इस समय में पूरे किये गये।

परियोजना अधिकारियों द्वारा इस परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि का कोई संकेत नहीं मिला फिर भी राज्य सरकार जल्दी पूरा करने के लिये दबाव डाल रही है।

Mr. Speaker: Question hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र न का लिखित उत्तर

Construction/Repair of roads in Faridabad Complex

***152. Shri Kundan Lal Bhatia:** Will the Minister for Local Government be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new roads and to repair the damaged roads, if any, in the area of Faridabad Township; and

(b) if so, the time by which the said road are likely to be constructed/repaired?

Interim reply

D.O. No. 52/4/2कI

SUBHASH KATYAL LOCAL GOVERNMENT MINISTER,

HARYANA,

CHANDIGARH.

September, 3, 1990.

My dear Shri Chatha,

Starred Assembly Question No. 1152 by Shri Kundan Lal Bhatia, M.L.A., regarding construction/repair of roads in Faridabad Complex is slated for reply on 4-9-1990. It has not been possible to collect the detailed information about this Question and it is requested that at week's time may be allowed for reply to this Question.

With regards,

Yours sincerely,

-Sd-

(Subhash Katyal)

Shri H.S. Chatha,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

(At this stage several members rose and started speaking.)

Mr. Speaker: If you have made up your mind to speak together then the position is deifferent, otherwise please take your seats and I will reply to your points one by one.

श्री देवी दासः स्पीकर साहब, सोनीपत के अन्दर 27 तारीख को दुकानें लूट ली गई। दुकानों के ताले तोड़ कर माल लूट लिया गया। वहां पर जंगल का राज है। मैं सरकार से चाहूंगा कि वह इस बारे में स्थिति स्पश्ट करें।

श्री अध्यक्षः आपने कुछ लिख कर दिया है?

श्री देवी दासः स्परकर साहब, मैंने आज सुबह एक कालिंग अटैंन ान मो ान का नोटिस दिया था। मैं उस बारे में

पूछ रहा हूं। कल मैं लेट आया था इसलिए यह मो ान मैंने आज सुबह दी थी।

श्री अध्यक्षः आपकी मो ान अंडर कंसिड्रे ान है। आप कृपया बैठें।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, मैंने परसों दो कालिंग अटैन्ा ान मो ांज और एक ऐडजर्नमैंट मो ान का नोटिस आपकी सेवा में दिया था। मेरा ख्याल है कि आपने उनके लिए अनुमति दे दी होगी। (विध्न)

Mr. Speaker: Your motion regarding misbehaviour with a girl at Kosli has been disallowed because the accused were arrested and the matter is subjudice. Your other motion regarding repair of the Dam near villages Lalpur and Sherpur and Kirawali in District Faridabad has been sent to the Government for comments.

Your motion regarding the situation arising out of implementation of Mandal Commission Report has also been disallowed.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, मंडल आयोग की सिफारि ाों की वजह से प्रदे ा में ही नहीं बल्कि सारे दे ा में स्थिति बिगड़ गई ह। यह बहुत अहम मुद्दा है और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। हमें आपके फैसले के ऊपर कोई बात कहने का अधिकार नहीं है लेकिन हम यह चाहते हैं – (ाोर)

Mr. Speaker: I have already admitted calling attention motion given notice of by Shri Balbir Singh Chaudhary regarding the situation arising out of implementation of Mandal Commission Report. All the motions cannot be admitted but every member, who has given the notice on this subject will be given an opportunity to put one question each after the Minister has made a statement on the matter.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः फिर स्पीकर साहब, आप इस पर डिस्क ान के लिए एक दिन का टाईम फिक्स कर दें। (ाोर)

श्री अध्यक्षः मैंने अपनी रूलिंग दे दी है, अब आप कृपया बैठिए।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, जो बांध टूटा पड़ा है, वह भी बहुत अहम मसला है। इस मामले पर तो आप पुनर्विचार कर लें।

Mr. Speaker: I have already told you that I have sent that to the Government for their comments. As and when the comments are received, the same will be communicated to you.

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, कल प्रौढ़ ि ाक्षा के कर्मचारियों पर लाठी चार्ज किया गया। लड़कियों को थाने में ले जाकर पीटा गया। उनमें कुछ गर्भवती महिलाओं को भी पीटा गया। उनको आज तक चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हुई। सैंकड़ों लोग जेल में डाले गए उनमें से 40 लड़कियां घायल

हैं। उनको भी चिकित्सा की सुविधा नहीं मिली। वे लोग यहां पर 75 दिन से फुट पाथ पर थे। जब वे अपनी बात कहने के लिए यहां पर आए तो उनको जेल में डाल दिया गया। इस संबंध में मैंने एक कालिंग अटैन्‍ ान मो ान का आज सुबह नोटिस दिया था, उस बारे में आपने क्या निर्णय लिया है।

श्री अध्यक्ष: आपका मो ान मुझे मिल गया है और वह अंडर कंसिड्रे ान है।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, दूसरी बात यह है कि कल आपने इस सदन में यह कहकर बहुत कृपा की थी कि मेरी कोसली इंसीडैंट वाला ऐडजर्नमैंट मो ान आपके अंडर कंसिड्रे ान है। हरियाणा में दो वर्दी धारी लोगों ने दिन दहाड़े सुबह दस बजे जाटूसाना में बहुत धिनौनी हरकत की।

Mr. Speaker: This matter was decided yesterday. I will request to please take your seat.

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, कल आपने यह माना था कि वह संगीन मसला है और आप इस पर विचार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह पूरे हरियाणा के हित की बात है और सारा सदन इससे चिन्तित है। कोसली में जो हुआ वह मल्टीपल अपराध हुआ है।

Mr. Speaker: Sharma Ji, please listen. Yesterday I had disallowed the notice of calling attention motion given by Rao Ram Narain regarding Kosli incident. Since the same are

the facts of your adjourment motion. I have disallowed it also. (Interruptions.)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, कल आपने हुक्म दिया था कि वह अंडर कंसिड्रे ान है। (ाोर)

Mr. Speaker: Sharma Ji, I have disallowed it.

Shri Ram Bilas Sharma: Sir, I want your observation on this matter . . . . . (Interruptions.)

Mr. Speaker: No, no, this is not to be recorded. There can be no discussion on it. Please take your seat.

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मैंने हरियाणा प्रदे ा में लॉ एंड आर्डर की सिचुए ान के बारे में एक कालिंग अटैन्ा ान मो ान का नोटिस दिया हुआ है। उसके बारे में आपने क्या फैसला किया है? (ाोर)

Mr. Speaker: Katria Ji, that has been disallowed.

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, कम से कम आप हमारी बात तो सुन ले। (ाोर)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, कल आपने सदन में फरमाया था कि वह अंडर कंसिड्रे ान है और आज आप कह रहे हैं कि वह डिसअलाऊ कर दी है। कम से कम आप अपने डिसीजन को रिव्यू तो कर सकते हैं। (ाोर)

Mr. Speaker: No review. (Interruptions). I will not review it.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुन लें। (ाोर)

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, ये इस तरह से भाोर भाराबा करके सदन से वाक आउट करना चाहते हैं। (ाोर)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः सदन से वाक आउट करने की कोई बात नहीं है। हम तो हाउस में डिस्कस करना चाहते हैं। (ाोर)

श्री बलबीर सिंह भााहः स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनें। . . . . . (ाोर)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, ... (ाोर)

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded. (Interruptions.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, वह डैम आज भी टूटा पड़ा है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः महेन्द्र प्रताव जी, आप मेरी बात सुनें। जब आप बोलते हैं और आपको इधर से इन्ट्रप्ट करते हैं तो आप मुझे

कहते हैं और जब उधर से इन्ट्रप्ट करते हैं तो आप मुझे कहते हैं। आप किसी की बात तो सुनते नहीं हैं। (ाोर)

श्री महेन्द्र प्रताव सिंहः स्पीकर साहब, आप मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दें। आप कम से कम हमारी बात तो सुन लें। (ाोर)

Mr. Speaker: I will not allow like this. (Interruptions.)

वाक आउट

राजस्व मंत्री (श्री तैयब हुसैन): महेन्द्र प्रताप जी, आप जरा एक सैकिण्ड मेरी बात सुनिए। मैं आपको उस बांध के बारे में बता देता हूं। (ाोर)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः आप क्या बता देंगे। वह डैम पिछले तीन साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। जवाब देने का यह कोई तरीका नहीं है। (ाोर) यदि हमें अपनी बात कहने के लिए समय ही नहीं दिया जाना है और हमारी मो ान्ज इसी तरह से डिस अलाऊ की जानी है तो हम इज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं। (ाोर)

श्री बलबीर सिंह भााहः यदि हमें बोलने के लिए समय नहीं दिया जाना है तो यहां पर बैठने का क्या फायदा है? हम इज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं। (ाोर)

(इस समय श्री महेन्द्र प्रताप सिंह कांग्रेस (आई) पार्टी के सभी उपस्थित सदस्यों सहित सदन से वाक आउट कर गए।)

वक्तव्य

राजस्व मंत्री द्वारा जिला फरीदाबाद में ग्राम लालपुर और भोरपुर किरावाली के नजदीक डैम की मुरम्मत सम्बन्धी।

राजस्व मंत्री (श्री तैयब हुसैन): मोहतरिम स्पीकर साहब, चौधरी महेन्द्र प्रताप जी ने कल रात को 10.00 वह नोटिस सेवा में दिया और आज सुबह 7.00 बजे एफ0सी0आर0 को मिला। चौधरी महेन्द्र प्रताप जी को यह जनहित की बात है कि उनको रात के 10.00 बजे यह ध्यान आया कि नोटिस देना है और आज सुबह 7.00 बजे वह एफ0सी0आर0 को मिला है। उस पर जितनी कार्यवाही होनी है, वह हम जरूर करेंगे। हमें जनता की उनसे कम फिक्र नहीं है, उनसे कुछ ज्यादा ही है। (ाोर)

विभिन्न विशयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, बड़ी अनफार्चूनेट बात हुई है। कल आपने कैटेगोरीकली यह कहा कि जो ऐडजर्नमैंट मो ान दी है, वह मैं आज नहीं लूंगा, कल लूंगा। उस समय हमने आप से रिक्वैस्ट की थी कि ऐडजर्नमैंट मो ान पोस्टपोन नहीं हुआ करती। लेकिन आपसे यह नया हुक्म बनाया है और आपका हुक्त तो हमें मानना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी।

श्री मंगल सैनः आज आप कह रहे हैं कि because the matter is sub-judice, therefore, it cannot be accepted. स्पीकर साहब, आप तो एक ही सांस में दो बातें कह गए। एक ही सांस में दो बातें तो न कहें। (ाोर) आपने राव राम नारायण जी की कालिंग अटैं ान मो ान ऐडमिट कर ली।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, ऐडमिट कब कर ली। (ाोर) आपने गलत सुना है। I think, you are hard of hearing. (Interruptions.) I have said that it had been disallowed.

श्री मंगल सैनः आप अभी खुद कह रहे थे। (ाोर)

श्री अध्यक्षः मैंने तो यह कहा था कि it had been disallowed.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आप हमें टेप ही सुना दीजिए उससे पता लग जाएगा कि आपने क्या कहा था।

श्री अध्यक्षः टेप सुनाने की कोई आव यकता नहीं है। मैंने तो यह कहा था कि वह डिस अलाऊ कर दी गई है। (ाोर)

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, मेरी ऐडजर्नमैंट मो ान के बारे में तो कल आपने सदन में फरमाया था कि वह अंडर कंसिड्रे ान है। स्पीकर साहब, आप हमारे गार्डियन हैं। आपके सामने भी कई बार बड़ी मु कल हो सकती है परन्तु

being a public representative, I would submit, Sir कि आज तक हिन्दुस्तान की किसी भी स्टेट असैम्बली में या पार्लियामैंट में यह प्रैसीडैंट नहीं है कि ऐडजर्नमैंट मो ान को इमिजिएटली टेकअप न किया जाए। ऐडजर्नमैंट मो ान उसी समय इमिजिएटली टेकअप होती है। If you permit me, Sir, then I may read page 414 of the Book by Kaul and Shakdher.

Mr. Speaker: Sharma Ji, I have decided it. Now you cannot question it.

Shri Ram Bilas Sharma: Sir, I am not challenging your authority, I am merly making my submission becuase it is a very grave situation. It is a very serious matter स्पीकर साहब, आपने कल सदन में खुद फरमाया था कि यह अंडर कंसिड्रे ान है।

Mr. Speaker: It was under consideration but now I have decided it.

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, ऐडजर्नमैंट मो ान एंमिजिएटली टेकअप किया जाता है। Yesterday you said that it was under consideration but now you have said that it has been disallowed.

Mr. Speaker: It has been decided. Please take your seat now. (Interruptions.)

कैप्टन अजय सिंहः स्पीकर साहब, मेरी 3–4 काल अटैन्न ान मो ान्ज थी उनके बारे में क्या फैसला हुआ, कृपया बता दें।

Mr. Speaker: I have decided all the notices of motions. Please sit down.

सीता राम सिंगलाः स्पीकर साहब, मैंने भी एक ध्यानाकर्शण प्रस्ताव दिया हुआ था, उसका क्या बना?

Mr. Speaker: I have disallowed it.

वाक आउट्स

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, कौसली में पुलिस ने गोली चलाई और पुलिस के वर्दीधारियों ने बलात्कार करने की कोि ा ा की। इसी तरह से अडल्ट ऐजूके ान ऐम्पलाईज के साथ ज्यादती की गई है। ऐडजर्नमैंट मो ान और कालिंग अटैं ान मो ान के जरिए हम अपनी बात यहां कहना चाहते हैं लेकिन उसके लिए हमें समय नहीं दिया जा रहा है। यदि आप हमें अपनी बात कहने के लिए समय नहीं दे रहे हैं तो हम एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं। (ाोर)

(इस समय श्री राम बिलास भार्मा भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित सदस्यों सहित सदन से वाक आउट कर गए।)

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, मैंने भी दो कालिंग अटैन्न ान मो ांज दिए थे। एक तो भााहबाद हल्के में जो 5–6

देहात हैं उनके बारे में है। इनकी हजरों एकड़ जमीन है। इन गांवों की लगातार तीन साल से यानि 1988–89 और 90 से फसल टांगरी नदी में बाढ़ आने से खराब हो रही है। दूसरा मेरा कालिंग अटैं ान मो ान भााहबाद भूगर मिल के बारे में है। वहां के कर्मचारियों को तो लेवी के रेट पर चीनी दी गई है। इन कर्मचारियों को चीनी क्यों दी जा रही है, इसका मैं विरोध नहीं करता लेकिन जो किसान तथा खेत मजदूर जो गन्ना पैदा करते हैं उनको लेवी के रेट पर चीनी न देकर उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? मैं जानना चाहता हूं कि मेरे इन दोनों मो ांज का क्या बना?

श्री अध्यक्षः वे रिजैक्ट कर दिए गए हैं।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, फिर तो मैं एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करता हूं। (इस समय श्री हरनाम सिंह सदन से वाक आउट कर गए।)

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव–

मण्डल आयोग की रिपोर्ट के लागू करने के बारे में प्रधान मंत्री की घोशणा से उत्पन्न हुई कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सम्बन्धी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of calling attention motion no. 2 given by Shri Balbir Singh Chaudhary, M.L.A. regarding law and order situation created by the announcement of the Prime Minister regarding implementation of Mandal Commission's Report. I admit it. अब

श्री बलबीर सिंह चौधरी अपना नोटिस पढ़ दें और उसके बाद यदि सम्बन्धित मंत्री स्टेटमैंट देना चाहें तो दे दें।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्याव यक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि 15 अगस्त, 1990 को लाल किले की प्राचीर से दे ा के पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतू प्रधान मंत्री महोदय ने मण्डल आयोग की सिफारि ाों को लागू करने की घोशणा की, जिसके अनुसार केन्द्रीय प्र ाासन एवं केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिये 27% स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। इस घोशणा के उपरान्त हरियाणा में विद्यार्थी एवं युवा वर्ग के आन्दोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण करोड़ों रुपये की सरकारी सम्पति नश्ट हो चुकी है और कुछ लोगों के मरने की खबरें समाचार पत्रों में भी छपी है।

प्र ाासन एवं पुलिस बन्दोबस्त पूर्णतया चरमरा गया है। रेल यातायात बस सर्विस तथा आवागमन के अन्य साधन पूर्ण रूप से कई दिनों से नदारद हैं। कर्मचारियों का अपने कार्यालय पहुंचना नामुमकिन हो चुका है। कार्यालय, सार्वजनिक प्रतिश्ठान एवं बाजार लगातार कई दिनों से बन्द पड़े हैं जिसके कारण नित्य प्रति की जीवन उपयोगी आव यक वस्तुओं की आपूर्ति भी पूर्णतया बन्द है। गरीब दिहाड़ीदार, मजदूर, रिक ाा एवं रेहड़ी चालक आदि भुखमरी की द ाा में जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हैं।

हरियाणा सरकार की घोशणा के बावजूद भी 31 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल सका। जनसाधरण को अत्याधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है जिस की क्षतिपूर्ति हो पाना असम्भव है।

वर्तमान स्थिति इतनी भयावह है कि आरक्षण विरोधी एवं समर्थकों में जातिय संघर्श भड़कने के कगार पर है। कुछ समाचार पत्रों में प्र ाासन की लापरवाही तथा मिली भगत का उल्लेख भी आया है। अतः निवेदन है कि प्रदे ा में सामान्य जन–जीवन यापन हेतू सरकार तुरन्त कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल करने का प्रबन्ध करे और मण्डल आयोग की सिफारि ाों पर विस्तृत चर्चा उपरान्त उचित सिफारि ाों को अव य लागू किया जाये। इस विशय में मुख्य मंत्री महोदय सदन में एक वक्तव्य दें।

वक्तव्य–

गृह मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा मण्डल आयोग की रिपोर्ट स्वीकार किये जाने की घोशणा के फलस्वरूप विद्यार्थी समुदाय द्वारा इस का कड़ा विरोध किया गया है। विद्यार्थियों ने हड़तालें की, जलूस निकाले, सड़क पर बसों और ट्रकों का यातायात रोका, हरियाणा राज्य परिवहन की बसों के भी ा तोड़े, टायरों की हवा निकाली। कुछ स्थानों

पर बसों को आग लगा दी, निजी व सरकारी सम्पति को क्षति पहुंचाई, रेल यातायात रोका, कुछ भाराब की दुकाने लूटी, रेल डिब्बों को आग लगाई। इसी प्रकार से वे 20–8–90 से मण्डल आयोग की रिपोर्ट के विरूद्ध अपना रोश प्रकट कर रहे हैं।

पुलिस द्वारा अनुरोध करने पर कि वे कानून को अपने हाथ में न लें तथा सड़क व रेल मार्ग से रूकावटें हटा लें, वे कुछ स्थानों पर ऐसा करने को सहमत हो गये तथा वापिस चले गये परन्तु कुछ स्थानों पर रूकावटें जारी रखी। कुछ स्थानों पर 22–8–90 से पुलिस की रूकावटें हटवाने के लिये तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये लाठीचार्ज करना पड़ा।

कुछ स्थानों पर जैसा कि 23–8–90 को विद्यार्थियों ने पर्यटन स्थलों–समालखा में, 25–8–90 को नरवाना व 27–8–90 को सोनीपत में तोड़ फोड़ की। समालखा में कुछ भीड़ को तितर–बितर करने के लिये पुलिस को हवाई फायर करने पड़े तथा नरवाना में लाठी चार्ज करना पड़ा। दिनांक 27–8–90 को बरवाला, 28–8–90 को सोनीपत व रोहतक और 30–8–90 को पुन्हाना (गुड़गांव) में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस को गोली चलानी पड़ी। कुछ स्थानों पर विद्यार्थियों ने पुलिस पर रोड़े बरसाये, जिसके फलस्वरूप दिनांक 24–8–90 को पुलिस कर्मियों को चोटें पहुंची। इसलिये क्रुद्ध भीड़, जो पथराव कर रही थी, को तितर–बितर करने के लिये रेलवे स्टे ान सोनीपत पर हवा में गोली चलानी पड़ी, जिसमें थाना प्रबन्धक, रेलवे पुलिस, सोनीपत

तथा अन्य पुलिस कर्मियों को पथराव के कारण चोटें आई। दिनांक 28–8–90 को ग्राम खरावड़ (रोहतक) में एक व्यक्ति को भी चोटें आई। आरक्षण विरोधी आन्दोलन के फलस्वरूप हरियाणा में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।

दिनांक 31–8–90 को हरियाणा बन्द लगभग पूर्ण रहा। उस दिन कोई हरियाणा रोडवेज की बस नहीं चली। हिंसा पर उतारू विद्यार्थियों ने सैक्टर–17, चण्डीगढ़ स्थित तथा पंचकूला स्थित सरकारी कार्यालयों को बन्द करवा दिया। हरियाणा सिविल सचिवालय चण्डीगढ़ तथा जिला कार्यालयों में हाजरी सामान्य रही। हरियाणा में मुख्य तथा छोटी सड़कों पर लड़कों ने कई स्थानों पर यातायात अवरूद्ध किया। कई स्थानों पर पेड़ गिरा कर तथा उन्हें सड़कों पर डालकर यातायात को अवरूद्ध किया। दिनांक 31–8–90 को रेलवे अधिकारियों ने हरियाणा प्रान्त में रेल सर्विस को निलम्बित रखा। यह सही है कि बन्द के कारण चण्डीगढ़ तथा पंचकूला के कर्मचारियों का वेतन बैंकों से नहीं निकाला जा सका। बन्द के सम्बन्ध में पुलिस ने व्यापक प्रबन्धक किये, जिस कारण कुछ मामूली घटनाओं को छोड़ कर बन्द भाान्तिपूर्ण रहा।

32 सरकारी व कुछ निजी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। 18 सरकारी और 2 निजी वाहनों को आग लगा दी गई, 6 रेलवे बोगीज को आग लगा दी गई, 3 टूरिस्ट स्थानों को तोड़–फोड़ करके हानि पहुंचाई गई। नहर रेस्ट हाऊस नरवाना को

तोड़–फोड़ करके हानि पहुंचाई गई। इस के अतिरिक्त कुछ अन्य सरकारी तथा निजी प्रोपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया।

हरियाणा में 67 मुकदमें पुलिस ने दर्ज किये।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह तथ्य उनकी जानकारी में है कि जब से हरियाणा बना है तब से लगातार आज तक हरियाणा के अन्दर कई समुदायों के लागों को जिनमें पिछड़े वर्ग के लोग, पंजाबी, ब्राह्मण आदि भाामिल हैं, की उपेक्षा होती रही है? (विध्न)

Mr. Speaker: Please put a supplementary and do not give speech.

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, मेरा प्र न बिल्कुल सही है आप इसे एक बार सुन लें और इसका जवाब हां या नहीं में जो भी बनता है, उसे ये दे दें। मैं बिल्कुल सीधा प्र न करूंगा और इसका जवाब भी मुझे सरकार से सही मिलना चाहिए। (विध्न)

Mr. Speaker: Balbir Singh Ji, Please put a question strictly according to the rules.

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, ...
.

Mr. Speaker: This is no supplementary and nothing to be recorded.

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, ...

.

Mr. Speaker: Since you are speaking most irrelevant. I won't allow you. Please take your seat.

कैप्टन अजय सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, भिवानी और रोहतक जहां पर हमे ाा ही खारा पानी है, में जो कई जातियां हैं, जैसे वहां पर अहीर हैं, गुज्जर हैं, सैनी हैं, क्या उनको मंडल कमी ान रिपोर्ट के तहत बैकवर्ड की सूची में लाया जा रहा है या नहीं?

Mr. Speaker: Captain Sahib, that is not relevant. You are putting irrelevant question. यह आप कहां जा रहे हैं? आप पढ़ते तो हैं नहीं। पूरी तैयारी करके आना चाहिये।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरी आप से एक मोहतबाना अर्ज है। सारा हरियाणा कन्सर्ड है। सारे हरियाणा की एक करोड़ 60 लाख जनता यह देख रही है कि हरियाणा असैम्बली में क्या कार्यवाही हो रही है। (व्यवधान व भाोर) मैं गृह मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं। आपने अपने जवाब में यह पढ़ा है कि वह रिपोर्ट स्वीकार किये जाने के बाद इसका कड़ा विरोध किया गया है। जब आपको यह पता था कि आयोग के

फैसले के बाद लोगों में उत्तेजना आ गयी है तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की? कलावड़ और बहू अकबरपुर में रास्ते में जैसे पति–पत्नी के जेवर छीन लिये गये, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये पुलिस ने क्या प्रबन्ध किये हैं?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, पुलिस ने बाकायदा प्रबन्ध किये हैं। हर चीज का री–ऐक ान होता है। क्योंकि पहले अन्दाजा लगा लिया गया था कि क्या होगा इसलिये पुलिस की हर जगह पर पैट्रोलिंग के प्रबन्ध किये गये हैं। लोगों को ऐजूकेट करने की भी कोि ा ा की गयी है। छुट–पुट घटनाएं जरूर कुछ हुई हैं लेकिन स्पीकर साहब, सिचुए ान अन्डर कन्ट्रोल है। अकेले हरियाणा में ही नहीं, सारे दे ा में इसका री–ऐक ान हुआ है। हर एक सूबे में इसका री–ऐक ान हुआ है। पड़ौसी राज्य हिमाचल प्रदे ा में तो उनको मिलिटरी बुलानी पड़ी है। हरियाणा में सिचुए ान पूरी तरह से अन्डर कन्ट्रोल है।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण विशय पर अपना बयान दिया है। पिछले दिनों हरियाणा में स्कूल बन्द कर दिये गये थे। कालेज तो बन्द हैं ही। बसें जलाई जा रही हैं। क्या, कहीं से इनको इस किस्म की कोई ि ाकायत मिली है कि कुछ सरकारी अफसर भी इस आरक्षण विरोधी आन्दोलन में भाामिल हैं। क्या ऐसी कोई ि ाकायत इनको आयी है। अगर

उनके नोटिस में ऐसी कोई ि ाकायत आयी है तो उसके लिये क्या कोई प्रबन्ध किया गया है?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कोई भी सरकारी कर्मचारी या सरकारी अफसर इस किस्म की कोताही नहीं कर सकता। भार्मा जी के नोटिस में ऐसी कोई बात हो तो वह हमारे नोटिस में लायें, हम उस पर अव य कार्यवाही करेंगे।

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस आरक्षण विरोधी रोश की वजह से बड़ी भारी लूट–खसूट हो रही है। जगह–जगह यातायात ठप्प पड़ा है। प्राइवेट वाहनों को जलाया जा रहा है। सवारियां जो बहुत–बहुत दूर का सफर तय करके आ रही है, उसको रोका जा रहा है। उनको घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का काम इस तरह से कब तक चलेगा, कब तक सरकार ऐसे सिचुए ान को कन्ट्रोल करेगी और अब तक इसको कन्ट्रोल करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, सरकार की सवारियों को रोकने की कोई नीति नहीं है सरकार इस बारे में पूरी कार्यवाही कर रही है। आज सारे के सारे हरियाणा में टोटल बसें चल रही हैं। सरकार को इस किस्म की कोई नीति नहीं है कि बसों को रोका जाए। सरकार ने इस बारे में मुकद्दमें भी दर्ज

किए हैं और 137 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। स्पीकर साहब, जो भी और कोई गड़बड़ करेगा, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, आपको बड़ी मु कल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम भी मजबूर हैं क्योंकि हम जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कल मैंने रूल 84 के तहत डिसक ान के लिए आपको नोटिस दिया था।

श्री अध्यक्षः डा0 साहब मुझे कोई मु कल नहीं है। I am very sorry, the zero hour is over now.

श्री मंगल सैनः रूल 84 के तहत मैंने कल मो ान दी थी और आपने कहा था कि वह अंडर कंसीड्रे ान है।

श्री अध्यक्षः अन्डर कंसीड्रे ान का मतलब यह कहां है कि मैंने इसको मान लिया है।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कब कहा है कि अन्डर कंसीड्रे ान का मतलब यह है कि मान लिया है।

Mr. Speaker: That has been disallowed.

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव–

वृद्धावस्था पैन ान का वितरण न करने सम्बन्धी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of calling attention motion no. 11 given by Shri Anil

Kumar Vij, M.L.A., regarding non-disbursement of old age pension. I admit it. He may please read his notice and the Minister concerned may make a statement thereafter.

श्री अनिल कुमार विजः अध्यक्ष महोदय, मैं एक अति लोक महत्व के विशय की ओर सरकार का ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं कि पिछले आठ मास से प्रदे ा भर में वृद्धों को मिलने वाली पैं ान नहीं दी गई है। इस कारण वृद्धों में खासतौर पर और जनता में आमतौर पर बहुत रोश है। मैं, इसलिए, सरकार को अपनी नीति स्पश्ट करने के लिए आग्रह करता हूं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री सरदूल सिंहः स्पीकर साहब, सभी लोगों को पैन्ा ान मिल रही है। कौन कहता है कि पैन्ा ान लोगों को नहीं मिल रही है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री मंगल सैनः आन ए प्वायंट आफ आर्डर स्पीकर साहब, मैं अपनी रूलिंग चाहता हूं। मेरे बुजुर्ग साथी जो बोल रहे हैं। क्या ये मन्त्री परिशद के सदस्य हैं या इनको जवाब देने की पावर डेलीगेट की हुई है? (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सरदार सरदूल सिंह आप बैठिए।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इनको तो हाई कमाण्ड ने सस्पैंड कर दिया है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः विज साहब, मिनिस्टर साहब के स्टेटमैंट देने के बाद आप दो सवाल सप्लीमैंटरी के रूप में पुट कर सकते हैं।

श्री अनिल कुमार विजः ठीक है जी

वक्तव्य–

सामज कल्याण तथा पर्यावरण राज्य मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी

समाज कल्याण तथा पर्यावरण राज्य मंत्री (श्री ि ाव लाल): अध्यक्ष महोदय, नई वृद्धावस्था पैं ान योजना के अन्तर्गत वर्श 1989–90 में 7.78 लाख लाभ–पात्रों को पैं ान स्वीकृत की गई थी और 98.23 करोड़ रुपये की रा ि ा खर्च की गई। चालू वित्त वर्श में स्टेट प्लान बजट के अन्तर्गत 101.57 करोड़ रुपए की रा ि ा का प्रावधान है और लाभ पात्रों की संख्या 8.32 लाख हो गई है। वर्तमान प्रणाली अनुसार पैं ान का वितरण चतुरमासिक आधार पर मनी आर्डरों के द्वारा किया जाता है। मनी आर्डर कमी ान 5 प्रति ात की दर से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता था जो प्रति वर्श लगभग 5 करोड़ रुपए बनता है। इस खर्च को कम करने के लिए कमी ान एजेन्टों के द्वारा पैं ान वितरण, सहकारी बैंकों के द्वारा पैं ान वितरण तथा पटवारियों एवं ग्राम सचिवों द्वारा पैं ान वितरण जैसी वैकल्पिक एवं कम खर्चीली प्रणालियों के बारे में सरकार द्वारा विचार किया गया।

2. 28–2–1990 को समाप्त होने वाली पैं ान अवधि की पैं ान का वितरण मार्च 1990 में देय हो गया था। क्यौंकि पैं ान वितरण की अन्य कार्य प्रणाली अपनाने का मामला सरकार के विचाराधीन था इसलिए पैं ान नहीं भेजी जा सकी। परन्तु इस बारे मैं अन्तिम निर्णय में कुछ समय लगना था, इसलिए पैं ान का वितरण चरणबद्ध तौर से किए जाने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार रोहतक, भिवानी, सिरसा, हिसार, कुरूक्षेत्र, कैथल तथा गुड़गांव नामक सात जिलों में मार्च से जुलाई 1990 तक मनी आर्डर भिजवाए गए और इन जिलों में जुलाई के अन्त तक पैं ान वितरित की गई। भोश 9 जिलों में मनी आर्डर जुलाई एवं अगस्त 1990 में भेजे गए थे और इन जिलों में पैं ान वितरित की जा रही है। लगभग 11 करोड़ रुपए की रा ि ा मनी आर्डर से वितरिक की जा चुकी है और भोश रा ि ा दस सितम्बर 1990 तक वितरित की जाएगी।

3. दिनांक 18–8–1990 को आयोजित मंत्री परिशद की बैठक में पटवारियों एवं ग्राम सचिवों के द्वारा वृद्धावस्था पैं ान का वितरण करवाने का निर्णय लिया गया है। मार्च 1990 से आगे की पैं ान का वितरण भीघ्र कर दिया जाएगा।

11.00 बजे

श्री अनिल कुमार विजः अध्यक्ष महोदय, लगभग 8 महीने लम्बी इन्तजार के बाद अब सरकार ने कहा है कि पैन् ान दे दी

जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पैन ान दी गयी है, वह किस जगह पर दी गयी है क्योंकि लोगों की ि ाकायतें हैं कि उन्हें समय पर पैन ानें नहीं दी जाती और इस देरी के लिए कौन जिम्मेवार है, इसके अलावा, लोगों को रैगुलर तौर पर समय पर पैन ान देने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं?

श्री ि िव लालः अध्यक्ष महोदय, फरवरी 1990 तक की पैं ान नी आर्डर्ज द्वारा भेज दी गई थी और यह मामला सरकार के विचाराधीन था कि बाकी पैन ान मनी आर्डर्ज द्वारा भेजी जाए या किसी और एजेन्सी द्वारा पैन ान वितरीत की जाए। अब 18 अगस्त, 1990 को सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ग्राम सचिवों और पटवारियों के द्वारा इसका वितरण होगा और मार्च 1990 से आगे की पैन ान इस महीने के आखिर तक यानी जल्दी रिलीज कर दी जाएगी।

श्री अनिल कुमार विजः अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि सभी जिलों में पैन ान एक साथ ही रिलीज की जाती है या कि आगे पीछे रिलीज की जाती है? अगर पैन ान आगे पीछे रिलीज की जाती है तो पैन ान के वितरण का आधार राजनीतिक है या कि प्र ाासनिक?

श्री ि िव लालः अध्यक्ष महोदय, टोटल 8 लाख 32 हजार बैनीफि ारीज हैं और इनको मनी आर्डर्ज द्वारा पैन ान भेजने के लिए काफी समय लगना स्वाभाविक है। जिलों में, कभी

चार जिलों में पैन् ान वितरीत की जाती है ताकि समय समय पर लोगों के पास पैन् ान पहुंच सके। यह हमारा पैन् ान भेजने का आधार है।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव–

जिला रिवाड़ी में पेयजल की कमी सम्बन्धी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of calling attention motion no. 4 given by Capt. Ajay Singh, M.L.A., regarding shortage of drinking water in Rewari District. I admit it. कैप्टन अजय सिंह जी अपना नोटिस पढ़ दें और उसके बाद यदि संबंधित मन्त्री स्टेटमैंट देना चाहें तो दे दें।

कैप्टन अजय सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान रिवाड़ी भाहर की पेय जल समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि सदा से ही पानी की समस्या का सामना करता रहा है। लेकिन इस समय यह भाहर पानी की समस्या के भयंकर दौर से गुजर रहा है। जिला बनने पर जनता की आ ाा बंधी थी कि क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी आएगी। परन्तु विकास के नाम पर समस्या ही समस्या इस इलाके की बढ़ी है। नगर की जल वितरण की इस भाोचनीय स्थिति को देख कर ये मार्मिक पंक्तियां बरबस ही याद आती हैं–

इस रिवाड़ी की जमीं पर, किस रोज कमबख्ती नहीं आती,

कभी पानी नहीं आता तो कभी बिजली नहीं आती।

पानी की समस्या यहां भाा वत है गत 20 वर्शों से रिवाड़ी के आस पास के क्षेत्रों के लोग पीने के पानी और नहरी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। रिवाड़ी भाहर की पेय जल अपूर्ति यहां से 12 किलोमीटर दूर साहबी नदी से होती है। साहबी नदी क्षेत्र में इस अपूर्ति के लिए 11 ट्यूबवैल लगाए गए हैं जिन में प्रत्येक ट्यूबवैल से 4 हजार से 7 हजार गैलन पानी एक घंटे में इकट्ठा होता है। कुल मिला कर इन 11 कुओं से 12.40 लाख गैलन पानी प्रतिदिन एकत्रित होता है। इसके अतिरिक्त कुल 4 कुऐं मसानी बैराज के हैं जिन से 2.40 लाख गैलन पानी एकत्रित होता है। रिवाड़ी भारह की लगभग 1.25 लाख आबादी को सरकारी आंकड़ों के अुनसर ही 40 लाख गैलन पानी प्रतिदिन चाहिए। जब कि उक्त आंकड़ों के अनुसार केवल 12 लाख गैलन पानी की आपूर्ति पेरय जल विभाग कर पाता है। 12 लाख गैलन पानी की आपूर्ति का दावा भी सरकारी है, इसमें झूठ का प्रति ात कितना है यह तो केवल प्र ाासन ही जानता है। कुल मिला कर आव यकता का एक चौथायी हिस्सा ही इलाके कोमिलता है। पेय जल विभाग स्वीकार करता है कि प्रत्येक नागरिक की औसत पानी की आव यकता 40 गैलन है जबकि विभाग मु कल से 10–12 गैलन पानी फी व्यक्ति दे पार रहा है।

विभाग के एक उच्चच अधिकारी के अनुसार आने वाली गर्मी में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। साहबी

नदी ने करीब 20 वर्शों से रिवाड़ी की प्यास को बुझा रखा है। राजस्थान प्रदे ा से आकर हरियाणा में बहने वाली इस नदी पर राजस्थान सरकार ने अनेक छोटे बांध बना दिए हैं जिसके कारण से हरियाणा में यह नदी सन 1979 से सूखी पड़ी है। उच्च अधिकरी के अनुसार 15 दिनों में नदी के कुओं का जल स्तर तकरीबन 25 फीट नीचे चला गया है जोकि आने वाले समय में और नीचे जाएगा जिससे रिवाड़ी भाहर की जल आपूर्ति व्यवस्था और गड़बड़ा जाएगी। तात्पर्य यह है कि रिवाड़ी भाहर साहबी नदी की सप्लाई पर 1 या 2 वर्श और निर्भर कर सकता है। इस वर्श भी मानसून इस इलीाके में काफी कम रहा है और साहबी नदी में कोई पानी नहीं आ पाया।

सन् 1987 में हरियाणा सरकार ने नहरी पानी पर आधारित पेय जल योजना की रा ि ा 3.47 करोड़ रुपए आंकी थी जिसे सरकार ने बिना किसी सं ाोधन के अपनी मंजूरी दी। इस परियोजना के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 40 गैलन पानी देने का सुझाव रखा गया था इस बाबत भीघ्र कदम उठाने के लिए सरकार ने 15 लाख रुपए की एक कि त भी विभाग को दी। सरकार की एक भार्त रही कि इस परियोजना के लिए आव यक जमीन रिवाड़ी भाहर को उपलब्ध करानी होगी। तब अनके प्रयत्नों से निकटवर्ती ग्राम कालाका ने 25 एकड़ जमीन निः ाुल्क देते हुए भाहर के लोगों के प्रति अपनी सद्भावना का परिचय दिया था।

इस परियोजना के अनुसार 5 करोड़ गैलन पानी एकत्र करने के लिए वि ाल टैंक बनाए जाते थे। महीने में एक सरकारी महकमे वाली साहबी नदी के पानी से इन टैंकों को भरा जाता। तत्प चात् इस पानी को फिल्टर कर योजना बद्ध तरीके से भाहरी क्षेत्र को पानी सप्लाई होता। 5 करोड़ गैलन पानी से रिवाड़ी भाहर की एक महीने की जल आपूर्ति सुनि चत हो जाती।

न जाने किन कारणों से इस बीच राजनीतिक परस्थितियां बदली और सरकार ने इस परियोजना को अधर में लटका दिया। पहली कि त के 15 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए वापिस सरकार ने छीन लिए।

हरियाणा सरकार ने भेदभाव बरतते हुए इस परियोजना को ताक पर रख कर इस पिछड़े हुए क्षेत्र से घिनौना मजाक किया है क्योंकि यह परियोजना रिवाड़ी क्षेत्र के लिए जीवन मरण का एक प्र न है।

सरकार ने उसी दौरान महेन्द्रगढ़ की पेयजल योजनाओं पर 26 लाख रुपए और नारनौल की पेय जल योजना पर 52 लाख रुपए खर्च किए जबकि इन दोनों नगरों की जमा आबादी से अधिक जनसंख्या वाले रिवाड़ी भाहर के लिए एक झूठे आस की तरह केवल 5 लाख रुपए ही दिए गए जो कि इस योजना के लिए एक खड्ड़ा खोदने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। रिवाड़ी भाहर की जनता इस तमाम भेदभाव की नीति से काफी क्रोधित है। यदि

आज भी इस परियोजना को युद्ध स्तर पर भुरू किया जावे तो भी इसे पूरा करने में 5 वर्श का समय लगेगा और इस की अनुमानित रा ि ा भी 4.50 करोड़ रुपए से अधिक होगी।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि रिवाड़ी क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझाने हेतू और इस परियोजना को क्रियान्वित करने हेतू घो ि ात रा ि ा भीघ्र दें ताकि इस क्षेत्र के लोगों की प्यास तो बुझेगी ही साथ ही आसपास के गांवों में जमीन में जल स्तर भी ऊपर उठेगा। सरकार इस पेयजल परियोजना को लागू न करने बारे तथा इस पेयजल में विलम्ब बारे अपनी स्थिति स्पश्ट करे।

वक्तव्य–

अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी श्रेणियों के कल्याण राज्य मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी

अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी श्रेणियों के कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागी राम): अध्यक्ष महोदय, वर्श 1981 की जनगणना के अनुसार रिवाड़ी नगर की जनसंख्या 57,311 है पर इस समय नगर की जनसंख्या 72,000 है। 40 गैलन पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से देने के लिए कुल 28.80 लाख गैलन जल की आव यकता है। रिवाड़ी नगर के क्षेत्र में नीचे का पानी पीने योग्य नहीं है। साहिबी नदी में जो कि नगर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है? 10 नलकूप लगाए हुए हैं जो कि पानी का निकास 5000 गैलन से

7000 गैलन प्रति घंटा की दर से कार्य कर रहे हैं। इन नलकूपों के 21 घंटे औसतन कार्य करने से 12 लाख गैलन पानी की प्रतिदिन प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त 2.10 लाख गैलन पानी ग्रामीण जल वितरण योजना, जो कि मसानी ग्रामों के समूह की है, से 3 नलकूपों द्वारा रात के समय पानी लिया जाता है जिसके फलस्वरूप कुल 14.10 लाख गैलन पानी प्रतिदिन उपलब्ध होता है। इन विभिन्न नलकूपों से जल पम्प द्वारा निकाल कर नगर को पानी 2 राईजिंग मेन 10'' आई/डी तथा 12'' आई/डी से निवासियों को 2 बूस्टिंग स्टे ानों, एक धारूहेड़ा तथा दूसरा टाऊन हाल से उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस प्रकार इस समय 20 गैलन जल प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से जो कि डिजाईन दर का लगभग 50 प्रति ात है नगर को दिया जा रहा है।

पिछले कुछ वर्शों में अत्यन्त सूखे के कारण धरती के नीचे के पानी में कमी आई है व साहिबी नदी के कैचमैंट पर कुप्रभाव पड़ा है और नलकूपों की जल निकासी में भी कमी आई है।

रिवाड़ी नगर को सुनि चित जल वितरण योजना एवं लम्बे समय तक सुधार को ध्यान में रखते हुए एक नहर पर आधारित जल वितरण योजना जिसकी अनुमानित रा ि ा 3.18 करोड़ रुपए थी, राज्य सफाई बोर्ड द्वारा प्रस्ताव नं0 3 दिनांक

15–7–1988 द्वारा प्र ाासकीय स्वीकृति दी गई थी, जिसे बाद में सं ाोधित करते हुए राज्य सफाई बोर्ड हरियाणा ने अपने प्रस्ताव नं0 20 दिनांक 8–8–89 द्वारा 3.47 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। 76,200 संभावी जनसंख्या के दृश्टिगत रिवाड़ी नगर के कुल पानी की आव यकता 40 गैलन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से 30 लाख गैलन पानी निकाली गई है। इस योजना के सम्पन्न होने पर 15.00 लाख गैलन अतिरिक्त नहर का भाुद्ध पानी उपलब्ध करवाना सुनि ि चत होगा। धन रा ि ा की कमी के कारण इस योजना पर कार्य भाुरू नहीं किया गया है। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण जीवन बीमा निगम/हुड्को इन्हें ऋण देने के लिए तैयार नहीं है।

जहां तक इस योजना के लिए धनरा ि ा उपलब्ध करवाने का संबंध है यह माननीय है कि भाुरू में इसे 15.00 लाख रुपए प्रदान किए गए थे (5.00 लाख रुपए सूखा अनुदान से और 10 लाख रुपए राज्य ऋण योजना से) परन्तु योजना पर कठोर कटौती के कारण जो कि भारत सरकार ने लगाई थी नागरिक जल वितरण योजना का आकार 500 लाख रुपए से 376 लाख रुपए हो गया था तथा राज्य ऋण 10 लाख रुपए वापिस ले लिया गया था। इस तरह इस योजना के लिए कुल 5.00 लाख रुपए ही उपलब्ध हैं और इस नाम मात्र की धनरा ि ा से इस योजना को चालू करना संभव नहीं है। इसलिए नगर की जल वितरण योजना का सुधार केवल 5.00 लाख रुपए की धनरा ि ा से केवल 2–3

नलकूप ही साहिबी नदी में लगाए जा सकते हैं और 2 ऐसे नलकूपों का कार्य हाथ में लिया हुआ है। इसके अतिरिक्त 2 नलकूप जो कि पहले लगाए हुए हैं परन्तु अभी भाुरू नहीं हुए, चालू किए जा रहे हैं। इन चारों नलकूपों को सितम्बर 1990 के अन्त तक चालू करने की संभावना है जिससे नगर को जल वितरण के लिए 14.10 लाख गैलन से बढ़कर 17.10 लाख गैलन की प्राप्ति होगी।

इसके अतिरिक्त वर्श 1990–91 में हरियाणा राज्य के सभी गांवों को पानी उपलब्ध कराने हेतू प्राथमिकता दी जा रही है। हरियाणा दे ा का पहला राज्य होगा जिसके हर गांव में उत्तम पानी पीने की व्यवस्था की जाएगी। (तालियां)

कैप्टन अजय सिंहः स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने मेरे ध्यानाकर्शण प्रस्ताव का जो जवाब दिया है उसके मुताबिक रिवाड़ी भाहर की 76 हजार के लगभग संभावी आबादी है। लेकिन रिवाड़ी भाहर की 76 हजार से भी ज्यादा आबादी संभावित होते हुए भी केवल पांच लाख रुपया दिया गया है, इसका क्या कारण है? स्पीकर साहब, नारनौल की पेयजल योजना के लिए 52 लाख रुपए दिए गए और महेन्द्रगढ़ के लिए 26 लाख रुपए दिए गए। इसके साथ साथ मे। यह भी जानना चाहता हूं कि रिवाड़ी भाहर की यह परियोजना कब तक लागू की जाएगी? इस बारे में मंत्री जी स्थिति स्पश्ट करें।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आने साथी सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस साल जिस समय आदरणीय चौटाला साहब मुख्य मंत्री थे, तो सरकार ने यह वायदा किया था कि हरियाणा के उन सभी गांवों को इस साल के अन्त तक वाटर वर्कस का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा जिनमें पीने के पानी के लिए वाटर वर्कस का प्रबंध नहीं हो सका है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार उन गांवों को प्राथमिकता दे रही है जिन गांवों में अब तक वाटर वर्कस के जरिए एक रत्ती भर पानी भी नहीं मिल रहा। सरकार पहले ऐसे गांवों को पानी देने के लिए वचनबद्ध है जिनमें पीने के पानी की समस्या है। यह इनकी ठीक बात है कि जितना पानी रिवाड़ी भाहर को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, उतना पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी वहां पर पीने के पानी का प्रबंध तो है ही। वहां की समस्या को देखते हुए ही 5 लाख रुपए और दिए हैं ताकि और नलकूप लगा कर वहां की पानी की समस्या को दूर किया जा सके।

कैप्टन अजय सिंहः स्पीकर साहब, सरकार की यह ठीक योजना है कि उन गांवों में भी पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है जिन गांवों में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि रिवाड़ी भाहर की बढ़ती हुए आबादी को ध्यान में रखते हुए वहां पर पीने के पानी की स्कीम के तहत कठोर कटौती की जा रही है? इस बारे में मन्त्री महोदय

अपनी स्थिति स्पश्ट करें कि क्या कारण है कि वे वहां पर पूरा पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं?

Mr. Speaker: Please take your seat now. You will get the reply.

मुख्य मंत्री (श्री हुक्म सिंह): अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब कह रहे हैं कि महेन्द्रगढ़ को इस स्कीम के तहत ज्यादा पैसे क्यों दिए गए और कभी कहते हैं कि नारनौल को ज्यादा पैसे क्यों दिए गए। रिवाड़ी भाहर में जो पानी की सप्लाई की जा रही है उसके बारे में मैं इन्हें पूरी जानकारी दे देता हूं। इस समय रिवाड़ी भाहर में 13 ट्यूबवैल्ज चालू हैं। दो ट्यूबवैल्ज एक महीने के अन्दर–अन्दर और चल जाएंगे। इसके अलावा दो और नए ट्यूबवैल्ज दो महीने के अन्दर–अन्दर चालू हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इन सभी के चालू होने पर रिवाड़ी भाहर में पीने के पानी की समस्या दूर हो जाएगी।

कैप्टन अजय सिंह: स्पीकर सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

Mr. Speaker: Capt. Ajay Singh Yadav, this is not the way. You could put the question which you have done. Now please let us take up the next item.

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मैंने भी पानीपत में कुछ लोगों द्वारा कमेटी की जमीन पर नाजायज कब्जा किए जाने के बारे में ध्यानाकर्शण प्रस्ताव दिया है। इसके बारे में मुख्य मन्त्री

महोदय ने आ वासन भी दिया था कि नाजायज कब्जों को हटवा देंगे लेकिन वहां पर अब भी लोगों द्वारा नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं।

Mr. Speaker: Please take your seat.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरे प्र न का जवाब नहीं आया।

Mr. Speaker: This is not the time for it now.

श्री प्रदीप कुमार चौधरी: स्पीकर साहब, मैंने भी एक प्रिवलेज मो ान आपकी सेवा में दिया था उसका क्या बना?

Mr. Speaker: I have received it just now i.e. at 11.00 A.M. I have not gone through it. It is yet to be examined. Please take your seat.

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, यमुना नगर में ला एंड आर्डर की सिचुए ान के बारे में मेरी कालिंग अटैं ान मो ान का क्या हुआ?

Mr. Speaker: That has been disallowed.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 15 के तहत मो ान मूव करेंगे।

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I bet to move-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule Sittings of the Assembly indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule Sittings of the Assembly indefinitely.

Shri Mangal Sein (Rohtak): Sir, I want to oppose this motion.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि भाायद हम अपनी बात आपको समझा नहीं पाए। इतने गम्भीर इ ाू हम आपके नोटिस में लाए हैं। इन्होंने तो यह फैसला किया है कि संविधान की रिक्वायरमैंट सै ान करने की पूरी करो और भाग जाओ।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, इन्होंने अभी कहा है कि सै ान करो और भाग जाओ, ऐसी भागने वाली बात नहीं है। इन द्वारा भागना भाब्द कहना ठीक नहीं है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कल दो घंटे पहले ही सै ान का काम सै ान का समय खत्म होने से पहले ही खत्म हो गया था। मैं इनको कहना चाहूंगा कि जानबूझ कर कोई नहीं भाग रहा। हम पूरा टाईम देना चाहते हैं और पूरा टाईम दे भी रहे हैं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, ...

Mr. Speaker: This is not the case. This is most irrelevant and will not be recorded. I won't permit you to say like this.

Shri Mangal Sein: You may not permit me to say this. But my humble submission is this that I oppose this motion.

Mr. Speaker: Question is-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule Sittings of the Assembly indefinitely.

The motion was carried.

श्री अध्यक्षः अब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर नियम 16 के अधीन प्रस्ताव पे ा करेंगे।

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I bet to move-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

Shri Ram Bilas Sharma: Sir, I want to make a submission about it.

Mr. Speaker: Sharma Ji, now that stage is over because the motion has been carried.

Shri Ram Bilas Sharma: Sir, I rose to speak when the motion was stated before the House. (Interruptions).

Mr. Speaker: No. Sharma Ji, you did not get up. (Interruptions). I looked all around and I think you were not attentive at that time. Now I am sorry. That stage is over.

सरकारी संकल्प

हरियाणा स्टेट बिजली बोर्ड द्वारा ऋण लेने की रा ि ा की लिमिट बढ़ाने संबंधी

श्री अध्यक्ष: अब पार्लियामैंटरी अफेयर मिनिस्टर औफि ियल रैजोल्यू ान पे ा करेंगे।

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I bet to move that-

This House approves, under sub-section(3) of section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1958), the fixation by the State Government of a higher maximum amount of 800 crore of rupees which the Haryana State Electricity Board may at any time have on lcan under sub-section(1) of that section.

Mr. Speaker: Motion moved that-

This House approves, under sub-section(3) of section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1958), the fixation by the State Government of a higher maximum amount of 800 crore of rupees which the Haryana State Electricity Board may at any time have on lcan under sub-section(1) of that section.

श्री हरनाम सिंह (ाहबाद): स्पीकर साहब, मैं इस संबंध में यह अर्ज करना चाहता हूं कि हरियाणा बिजली बोर्ड की कोई रिपोर्ट कभी यहां हाऊस में बहस के लिए नहीं आई जिससे पता लगे कि बिजली बोर्ड ने क्या इम्प्रूवमैंट की है। हमारा ट्रांसमि ान सिस्टम लगातार फेल होता जा रहा है, पिछड़ता जा रहा है। हमारे ट्रांसफारमर्ज जल रहे हैं। कई इलाकों में किसानों को छः छः घण्टे बिजली नहीं मिलती है। जो घरों के बिल है अगर वे अदा नहीं किए जाते तो उन पर लेट फीस लगती है। बिजली वाले कनैक ान डिसकनैक्ट कर देते हैं। इसी तरह से ट्यूबवैल्ज के साथ है। जो छोटे कारखाने हैं उनका फाईन 100 रुपए किया है। इस बारे में मेरी यह अर्ज है कि एक तरफ तो लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ रहे हैं दूसरी तरफ यह बोर्ड लोगों को लूट रहा है। इस बोर्ड की परफारमैंस क्या है? 29 प्रति ात बिजली की चोरी होती है। बिजली की चोरी को ठीक करके बोर्ड के लोन को कम क्यों नहीं किया जाता? हम इसके कर्जे की क्षमता बढ़ाते जाएं कि यह इतना रुपया कर्ज ले सकता है। हमारे इस हाऊस में बोर्ड की कार्यकु ालता के बारे में भी विचार होना चाहिए ताकि हम उस पर बहस करके, विचार करके उसको इम्प्रूव करें और सिस्टम में

जो नुक्स हैं, जो कमजोरियां है। उनको दूर करें। इतना बड़ा हमारा कम्पलैक्स है और वह घाटे में चल रहा है। सरकार हर बार घाटे की बात कहती है और अब कर्जे की बात कही गई है। ये हम पर कितना कर्जा बढ़ाएंगे, कितने टैक्स लगाएंगे, कितने रेट बढ़ाएंगे और कितना और डालेंगे स्पीकर साहब, इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, बिजली मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उस पर अपनी बात कह रहा हूं। इस समय बिजली बोर्ड हरियाणा के कुल बजट का 30 प्रति ात खर्च कर रहा है। इस प्रस्ताव में भी बिजली मन्त्री जी ने 800 करोड़ रुपए तक की अधिकतम रा ि ा लोन पर लेने के लिए सदन की अनुमति मांगी है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी रा ि ा है। हरियाणा बिजली बोर्ड की जो पावर जैनरे ान परफारमैंस है, उसकी जो जैनरे ान परसैंटेज है उसकी हिन्दुस्तान में जितने भी पावर जैनरे ान सिस्टमज हैं यदि उनसे तुलना करें तो बम्बई का जो टाटा पावर जैनरे ान सिस्टम है they are running upto the capacity of 98%. आंध्र प्रदे ा में जो बिजली जनरे ान सिस्टम है, उसमें जैनरे ान कैपेसिटी 93 प्रति ात के आस–पास है। हमारा जो पावर जैनरे ान सिस्टम है, उसमें आज तक किसी भी प्रोजैक्ट में 40–42 प्रति ात से ज्यादा कैपेसिटी तक पावर जैनरे ान नहीं हुई है, यह मेरा अनुमान है। इसके मुकाबले में हमारा लाइनेज का खर्चा 29 परसैंट है। 29% are line losses and

29% of the total power generation is going without any charges and use. इसके ऊपर बोर्ड कोई खर्चा नहीं ले पा रहा है जबकि टोटल बजट का 30 प्रति ात हम इस पर खर्च कर रहे हैं। 800 करोड़ रुपया हम बिजली बोर्ड पर खर्च करने की बात कहते हैं, यह एक चिन्ता की बात है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कम जनरे ान का कारण बताया जा रहा है कि हमने कोयला सब–स्टैंडर्ड खरीद लिया। कभी यह कह दिया जाता है कि कोयला सब–स्टैंडर्ड खरीद लिया गया क्योंकि उस प्रान्त में जहां से यह कोयला आता है, वहां पर अपनी सरकार नहीं है। आज दे ा में जिस प्रदे ा से भी कोयला आता है, वहां पर हमारी विचारधारा की सरकार है। आज वह बहाना नहीं लगाया जा सकता कि कोयला सब–स्टैंडर्ड है, इस कारण ऐसा होता है। हरियाणा एक कृशि प्रधान दे ा है। हमारी बिजली की प्राथमिकता है। मैंने एक कालिंग अटैं ान मो ान इस बारे में दिया था कि हरियाणा में बिजली की सप्लाई का सिस्टम इतना इरैटिक है कि आप्रे ान थियेटर में बिजली कब चली जाएगी, इसका भी लोगों को अन्दाजा नहीं होता। किसानों को बिजली जरूर मिलनी चाहिए। हमारे जिले के दूसरे एम0एल0एज0 ने भी इस बारे में एक काल अटैं ान मो ान दिया था। उसके माध्यम से उन्होंने अपनी बात कही थी कि उनके गांवों में जो टेल पर इलाके पड़ते हैं, वहां पर वोल्टेज की बहुत बुरी हालत है। जिबली बोर्ड खुद कहता है कि पेस सैंटर आप वहां पर खुद लगाओ। तब हम कनैक ान देंगे। बिजली बोर्ड इसलिए भी कनैक ान दे नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास खम्भे

नहीं है, तार नहीं है और दूसरा सामान नहीं है। आज ज्यादा नहीं तो तीन साल तक की किसानों की दरख्वास्तें कनैक ान के लिए पड़ी हुई हैं जिसके लिए यहां पर इसी सदन में यह भी कहा गया था कि यह रिक्वायरमैंट पूरी कर दें या वह इतना पैसा जमा करा दें तो सरकार उस हिसाब से प्राथमिकता तय करेगी। चौधरी बंसी लाल के समय में एक बार 5,000 और एक बार 7,000 रुपए जमा कराने पर प्राथमिकता तय की गयी थी। एक बार कनैक ान की प्राथमिकता भूतपूर्व सैनिकों और अपंगों को देने के लिए कहा गया था। मैं यह चाहता हूं कि यह 800 करोउ़ तक की लिमिट बढ़ाने के साथ ही साथ बिजली बोर्ड की परफारमैंस के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। कोई भी पैसा बोर्ड मांगता है, जब हरियाणा सरकार उसको देती है तो वह उसकी परफारमैंस के बारे में भी रिव्यू कर सकती है और यह रिव्यू होना चाहिए कि जितना पैसा खर्च किया गया है, क्या वह ठीक किया गया है। इसी फिलासफी के हिसाब से उसकी परफारमैंस देखी जानी चाहिए और पावर जनरे ान सिस्टम में इम्प्रूवमैंट होनी चाहिए। 29 परसैंट जो लाइन लौसिज हैं, उसकी भी कोई न कोई जांच अव य होनी चाहिए कि हिन्दुस्तान में किसी भी पावर जनरे ान सिस्टम के क्या यह उचित है। जब टोटल जैनरे ान का इतना बड़ा हिस्सा लाइन लौसिज में चला जाए, तो यह एक बहुत ही चिन्ता की बात है। इसके बारे में सरकार को कोई न कोई कमेटी बैठानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह 800 करोड़ रुपया देते समय जो किसानों की कनैक ान के लिए दरख्वास्तें पड़ी हैं, उद्योग–धन्धे चलाने वालों की दरख्वास्तें

पड़ी हैं, गांवों में छोटी–छोटी इंडस्ट्रीज चलाने वालों ने जो कनैक ान के लिए एप्लाई किया हुआ है, उन सब की दरख्वास्तों का निपटारा होना चाहिए। कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां बारि ा कम होती है, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। एक रतफ तो हमें पता है कि बोर्ड में उनकी दरख्वास्तों को निपटारा नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ सरकार ने इस साल 800 करोड़ रुपए तक की लिमिट बढ़ाने की बात की है। जितने भी पावर कनैक ान की बात है, चाहे वह उद्योग–धन्धों के लिए हों, ट्यूबवैल्ज के लिए हों, या हरिजनों के घरों में बिजली जगाने के लिए हों, उन सब के बारे में सरकार को यह वायदा करना चाहिए कि उनको कनैक ान मिलेंगे। धन्यवाद। (**इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए**)।

श्री कैला ा चन्द भार्मा (नारनौल): उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय बिजली मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव हाउस में रखा है, मैं उस पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली सारे हरियाणा के लिए और वि ोशकर हरियाणा के उस हिस्से के लिए, जहां सिंचाई का केवल मात्र साधन ट्यूबवैल हैं, बहुत महत्व रखती है। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली बोर्ड ने भी ऐसी कुछ नीतियां बपनाई हुई है। जिनसे ऐसा महसूस होता है कि बोर्ड ने भाहर और गांव को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। जिबली बोर्ड ने ऐसी धारणा बना ली है कि भाहर में अमीर और लखपति रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं और बिजली बोर्ड की

जानकारी में वृद्धि करना चाहता हूं कि भाहरों में गरीब, मजदूर, रिक ाा वाले और झुग्गी झोंपड़ी वाले भी रहते हैं। बिजली बोर्ड ने बिजली के रेट इस तरह से फिक्स किए हुए हैं कि जिनसे यह आभास होता हे कि भाहर के रेट अलग हैं और गांव के रेट अलग हैं। बिजली बोर्ड ने यह तय किया है कि एक नि चत सीमा तक बिजली के ये रेट होंगे और उस नि चत सीमा से ऊपर जो यूनित होंगे उनके ये रेट होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड के पास इतने कर्मचारी नहीं हैं कि वे हर महीने घर–घर जाकर मीटर रीडिंग कर सकें इसलिए बिजली बोर्ड ने यह तय किया है कि दो महीने के बाद मीटर रीडर रीडिंग लेने जाएगा और कंज्यूमर को दो महीने के बाद बिल भेजा जाएगा। होता यह है कि मीटर रीडर घर पर रीडिंग लेने नहीं जाता वह दफ्तर में बैठकर ही अन्दाजे से बिल पर रीडिंग लिख लेता है और बिल कंज्यूमर को भेज दिया जाता है। कर्मचारी कम हैं इसलिए वे घर–घर नहीं जाते। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली कर्मचारी जो रिडिंग लिख कर देता है उसको खुदा की कलम भी नहीं काट सकती। जितने का बिल आ गया उसका पेमैंट करना ही पड़ेगा। कोई बिरला ही बिजली बोर्ड में जाकर और बारबार चक्कर काटने के बाद अपना बिल ठीक करवा सकता है। मजदूर और छोटे दुकानदार को बिल का पूरा पेमेन्ट करना ही पड़ेगा वरना मीटर काट दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमैंट हो जिसकी जीवन के हर क्षेत्र में आव यकता हो लेकिन उसकी व्यवस्था इतनी खराब हो कि वह हर महीने बिजली के बिल भी न भिजवा सके इससे अफसोसजनक

बात और क्या हो सकती है? हर महीने बिली बोर्ड का कर्मचारी रीडिंग न ले इससे ज्यादा इनऐफिि ायन्सी और क्या हो सकती है? जिला महेन्द्रगढ़ के अन्दर सिंचाई का सब से बड़ा साधन ट्यूबवैल हैं। वहां पर ट्रांसफारमर्ज की समस्या काफी समय से चली आ रही है। हम पिछले महीने एस0डी0ओ0 और ऐक्सीयन से मिले थे और ट्रांसफारमर्ज की समस्या के बारे में उनको बताया था और जनता की समस्या उनके सामने रखी थी लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास ट्रांसफारमर्ज नहीं हैं। पहले नारनौल में ट्रांसफारमर्ज की एक वर्क ाौप थी लेकिन फिर भी ट्रांसफारमर्ज की सप्लाई ठीक नहीं हो पाई। उपाध्यक्ष महोदय, नांगल चौधरी से रायपुर का 35 किलोमीटर का फासला है। वहां पर पैंतीस किलोमीटर लम्बी बिजली की एक ही लाइन डाली हुई है। जब भी बिजली का लौड बढ़ता है तो किसान का मीटर जल जाता है। हमने बारबार कहा कि इतनी लम्बी लाइन को दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में बांट दिया जाए। लेकिन हमें जवाब मिलता है कि बोर्ड के पास पैसा नहीं है, बोर्ड के पास खम्भे नहीं हैं और तार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण विभाग जिस पर लोगों का सारा जीवन निर्भर करता हो उसका यह हाल हो इससे ज्यादा दुख की और क्या बात हो सकती है। बिजली से सिंचाई हो सकती है। बिजली से ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था हो सकती है और अगर यह कहा जाए कि जीवन के हर क्षेत्र में बिजली की आव यकता है तो यह कोई अति योक्ति नहीं है। चाहे मजदूर है, चाहे अमीर है, गरीब है सब लोगों का जीवन बिजली पर निर्भर

करता है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वे बिजली की इस लम्बी लाइन को प्रायरिटी देकर बदलने की कृपा करेंगे? क्या मन्त्री महोदय उस इलाके की तरफ ध्यान देंगे जहां केवल सिंचाई का साधन ट्यूबवैल है और 35 किलोमीटर लम्बी लाइन होने की वजह से किसानों के मीटर लोड ज्यादा होने से जल जाते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सेवा में इतना ही निवेदन करना चाहता था। मुझे आ ाा और वि वास है कि मन्त्री महोदय, मेरे उस इलाके की ओर ध्यान देंगे।

श्री बलबीर सिंह चौधरी (फतेहाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का दो तीन सुझावों के साथ समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपने अन्तः करण और मुक्त कण्ठ से इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं। चौधरी देवी लाल और डा0 मंगल सैन की अगवाई में बनी इस सकरार के आने के बाद हरियाणा के अन्दर बिजली के मामले में काया कल्प हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इलाका बहुत ही उपजाऊ इलाका है। वहां पर सारा भाखड़ा का पानी आता है। इस सरकार के बनने के पहले मेरे यहां दोपहर को दो घरों में एक जमींदार और एक कारखानेदार के यहां जनरेटर चलते थे। बाकी सभी का नीचे पर से पानी निकलता रहता था और लोग अपनी ड्योड़ी के दरवाजे खोले रहते थे जिससे हवा आ सके। बड़े–बड़े अमीर आदमी ही बिजली का फायदा उठाते थे। कारखाने बन्द रहते थे। खेतों में थोड़ी देर के लिए बिजली आती थी। जब खेत में बिजली आती

थी तो किसान खेत में पहुंचता था लेकिन जैसे ही वह खेत में पहंचता था तो बिजली चली जाती थी। बड़े दु:ख के साथ किसान अपनी कस्सी उठाकर वापिस आ जाता था। आज पिछले तीन साल से हमारी मंडियों में इतना अनाज आ रहा है कि अनाज रखने की जगह नहीं है। यह सब बिजली पूरी मिलने के कारण ही हो पाया है। पिछली सरकार के समय चालीस हजार यूनिट बिजली दी जाती थी लेकिन आज सवा दो लाख यूनिट बिजली दी जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां इस सरकार की सब से बड़ी उपलब्धि है वह बिजली की पैदावार है और इससे हरियाणा की काया कल्प हुई है। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन सालों से विभाग का फायनैंि ायल स्टेटस भी दुगुना हुआ है और यह दुर्भाग्य है कि भाहरों के लोग फिर भी इस सरकार को कोसते हैं। ऐसी बात नहीं है। भाहरों को इस लिहाज से काफी फायदा हुआ है लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह जो सारे का सारा फायदा भाहरी लोगों को हो रहा है, यह फायदा सभी गांवों और भाहरी लोगों को बराबर का होना चाहिए। पहले अनाज पैदा नहीं होता था लेकिन अब बिजली के उत्पादन से हम लोगों को अनाज के उत्पादन में काफी तरक्की मिली है। हम अनाज के मामले में काफी हद तक आत्म–निर्भर हुए हैं। इसके लिए आज यह सरकार बधाई की पात्र है। (तालियां) हरियाणा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर क्षेत्र में हमारी काया कल्प हुई है लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात बड़े दु:ख के साथ कहना चाहता हूं कि कारखानों में, इंडस्ट्रीज में जो बिजली यूज होती है उसके लिए यहां कंज्यूमर्ज

से 1 रुपया 30 या 40 पैसे पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है। दे ा के किसी सूबे में ऐसा नहीं है। इन हालात में किस तरह से हमारे कारखाने चलेंगे और किस तरह से दूसरे सूबों के साथ कम्पीट कर पाएंगे। इसी तरह से बिजली का उत्पादन ज्यादा होने पर भी डोमैस्टिक कनैक् ांज में भी यही हालत है। यहां पर किसानों से काफी ज्यादा बिजली के रेट्स चार्ज किए जाते हैं। भाहरों में भी गरीब लोग हैं जो कि विभाग की धांधलियों का ि ाकार हो रहे हैं। किसानों को बढ़ा चढ़ा कर गल्त बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से विभाग लोगों को तंग कर रहा है और सरकार की छवि को बिगाड़ रहा है। गल्त व फर्जी बिल लोगों को भेजे जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विभाग की स्ट्रीम लाइनिंग करनी चाहिए और कोई एक ऐसी कमेटी बनायी जानी चाहिए जो यह देखे कि बिजली बोर्ड में घाटा क्यों हो रहा है? बिजली बोर्ड के अन्दर एक पुलिस का विजीलैन्स विंग होता है। वह बिजली की चोरी को रोक सकता है लेकिन इस विंग को और कारगर बनाने की आव यकता है। होता क्या है कि थोड़ी बहुत चोरी करने वाले को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन किन कारणों से आज बिजली बोर्ड को 800 करोड़ रुपए तक का कर्जा लेना पड़ रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इस ओर सरकार को खासतौर से सतर्क रहना चाहिए। बिजली की बड़ी चोरियों को रोकने के लिए सरकार को समय समय पर उपाय करते रहना चाहिए। यह जो 800 करोड़ रुपए तक का कर्जा बिजली बोर्ड लेने जा रहा है इस को नए

संयत्रों की खरीद पर भी लगाया जाना चाहिए जिससे कि बिजली का उत्पादन और नए ढंग से बढ़ाया जा सके। इस पैसे को लोगों की भलाई के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इन भाब्दों के साथ मैं यह जो प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया गया है इस का समर्थन करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

श्री दुर्गादत्त अत्री (राजौंद): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस सदन में जो 800 करोड़ रुपए तक के ऋण का प्रस्ताव बिजली बोर्ड के लिए लेकर आई है, मैं उस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, 1987 से जब से यह सरकार आई है तब से किसानों को अपने हिस्से का बिजली और पानी का पूरा लाभ मिल रहा है लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब कोई मीटर या ट्रांसफारमर्ज जल जाते हैं, कहीं कोई लाइन टूट जाती है तो दस सूरत में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब ि ाकायतें लेकर लोग बिजली बोर्ड के कार्यालयों में जाते हैं तो उनसे भेद भाव की नीति बरती जाती है जिससे किसानों को, गरीब लोगों को काफी परे ाानी का सामना करना पड़ता है। किसानों को कार्यालयों में काफी तंग किया जाता है। बिजली बोर्ड के कार्यालयों में बार बार आने जाने पर भी उनकी ि ाकायतों पर कोई गौर नहीं किया जाता। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर वि ोश ध्यान दे। इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसानों को जो बिजली मिल रही है उसके लिए आया उनसे सही रेट चार्ज

किया जाता है या नहीं। 800 करोड़ रुपए का अमाउंट काफी बड़ा अमाउंट है। हो सकता है इस अमाउंट से कई बड़े बड़े प्लांटस भी लगाए जाएंगे, इस ओर भी हमें सोचना होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों को बिजली टौप प्रायरिटी पर मिलनी चाहिए। जो प्राईवेट थर्मल प्लांट्स हैं, उन्हीं की तरह हमें अपने थर्मल प्लांट्स की भी कार्यकु ालता को बढ़ाना चाहिए और पर यूनिट जो खर्चा आ रहा है, वह आया सही आ रहा है या नहीं इन सभी बातों पर गौर करना चाहिए। बिजली बोर्ड की ओर से बार बार पर यूनिट खर्चा बढ़ाया जा रहा है और इससे जनता को परे ाानी हो रही है। इस पर भी सरकार गौर करे। सरकार यह भी सुनि ि चत करे कि जो कनैक ान पैंडिंग हैं वे मैरिट के आधार पर लोगों को दिए जाएं। यानी जिनकी ऐप्लीके ान पहले आई है उनको पहले कनैक ान दिया जाए और किसी किस्म का भेद भाव न किया जाए। आम तौर पर कर्मचारी यदि किसी का ट्रांसफारमर या मीटर वगैरह सड़ जाए तो उसे पैसे लेकर बदलते हैं। सरकार सुनि ि चत करे कि ये बगैर पैसे लिए बदले जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव तो पास होना ही है इसलिए मैं ज्यादा न कह कर इतना ही कहूंगा कि जो किसानों की दिक्कतें हैं, उनकी तरफ सरकार गौर करे।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय सदन में सरकारी पक्ष की ओर से एक संकल्प प्रस्तुत किया गया है जोकि बिजली बोर्ड के लिए 800 करोड़ रुपए

तक की ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए है। इससे पूर्व कि यह संकल्प पारित हो, बिजली डिपार्टमैंट के विशय में जो गांवों की प्रौबल्म हैं, जिनसे लोगों को असुविधा होती है, उसके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा जहां और बातों के लिए प्रसिद्ध वहां वह अपनी सड़कों की वजह से भी अपना अलग नाम रखता है। हमारे यहां काफी समय पहले गांव गांव में बिजली पहुंचाई गई थी। अब वे लाइनें पुरानी पड़ चुकी हैं। प्रारम्भिक स्टेज में दूर दूर तक बिजली की लाइनों को पहुंचाया गया था। अब जगह जगह स्टे ांज और सब–स्टे ांज बन चुके हैं लेकिन पुरानी लाइनें इनसे बहुत दूर होकर जाती हैं। मेरे हल्के का एक सौंध गांव है। जिबली का स्टे ान उसके नजदीक बन चुका है लेकिन उसकी लाइन तीस किलोमीटर दूर से जा रही है। ऐसी उदाहरणें हरियाणा में और भी कई जगहों पर होंगी। अगर लाइनों को नजदीक के स्टे ानों से जोड़ा जाए तो बिजली की सप्लाई बेहतर हो सकती है। आज गांवों में ट्यूबवैल्ज के मालिकों और घरेलू बिजली इस्तेमाल करने वालों को यह मालूम नहीं हो पाता कि बिजली किस समय से किस टाइम तक बन्द रहेगी। भााम का समय विद्यार्थियों और ग्रामीण जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन भााम सात से दस बजे के बीच में सिंगल फेज बिजली दी जाती है। जो लोग बिजली की चोरी करते है। उनका बोझ भी उस एक ही लाइन पर पड़ता है। इतनी डिम लाइट में स्टूडैंटस अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। बिजली की सुविधा को देखते हुए गांवों में लोगों ने लालटेन

की सुविधा भी रखनी छोड़ दी है, इस वजह से बच्चों की पढ़ाई का तथा किसानों का नुकसान होता है। रात को 10–11 बजे पूरी बिजली आती है और तब काम चलता है। इसके अतिरिक्त पहले जहां लोहे और सीमेंट के मजबूत खम्भे होते थे आज उनकी जगह बहुत कमजोर पोल लगाए गए हैं जो तारों की स्पोर्ट पर रूके हुए हैं। तेज आंधी आने से वे गिर सकते है। और उनसे जन जीवन की हानि संभावित है। इसलिए ऐसे टूटे फूटे खम्भे जो बहुत पुराने हैं उनको तुरन्त रिप्लेस किया जाए। इसके अलावा आज कुछ भ्रश्ट कर्मचारी अधिकारियों की मिली भगत के कारण गांवों के अनपढ़ लोगों को लूट रहे हैं। ये कर्मचारी मीटर की गलत रीडिंग ले लेते हैं या अपने घर में बैठकर ही गलत बिल बना देते हैं। गांव का आदमी नहीं जानता कि उसका बिल गलत बनाया गया है। वह उसको देने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर कोई आदमी इस बारे में पूछताछ करता है और बिल भरने में कुछ समय निकल जाता है तो उस पर पैनेलिटी डाल दी जाती है और बाद में कुछ पैसे ले दे करके उन बिलों को अपने लैवल पर ठीक कर देते हैं। निि चत रूप से ऐसे मामलों में सुधारों की आव यकता है। इसके अलावा मैं ट्यूबवैल्ज के ट्रांसफारमर्ज के बारे में कहना चाहूंगा। ऐसा देखने में आया है कि कई बार ट्रांसफारमर्ज जल जाते हैं और वहां पर जो अनपढ़ बिजली कर्मचारी लगाए हुए हैं वे अपने औफिसर्ज को जले जुए ट्रांसफारमर के बारे में समय पर सूचना नहीं देते हैं और वे लोग जले हुए ट्रांसफारमर्ज पैंडिंग रख लेते हैं। समय पर उनको रिप्लेस नहीं करते हैं। जले हुए

ट्रांसफारमर्ज को बदलने का कोई टाईम फिक्स नहीं किया हुआ है। जले हुए ट्रांसफारमर्ज को बदलने के लिए 10 या 15 दिन का टाईम फिक्स जरूर होना चाहिए ताकि वे लोग जले हुए ट्रांसफारमर्ज अपने पास पैंडिंग न रख सके। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि जले हुए ट्रांसफारमर के बारे में बिजली बोर्ड के कार्यालय में तुरंत सूचना पहुंचनी चाहिए और सूचना मिलने के बाद 7 दिन का टाईम फिक्स होना चाहिए ताकि 7 दिन के अन्दर अन्दर जले हुए ट्रांसफारमर्ज बदल दिए जाएं। यदि इस बारे में टाईम बाउंड करने वाला आदे ा कर दिया जाए तो किसानों को पेर ाानी नहीं होगी। इसके अलावा मेरा एक सुझाव यह भी है कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर बिजली की व्यवस्था ठीक करने के लिए बिजली सुचारू रूप से सप्लाई करने के लिए वहां के जनप्रतिनिधियों को वि वास में ले करके ऐसी योजना बनाएं जिससे बिजली की आपूर्ति सही दि ाा में हो सके। सरकार ने सब–स्टे ांज और स्टे ांज स्थापित करने के लिए जो 800 करोड़ रुपए लोन लेने का प्रावधान किया है इस बारे में दूर दराज के जनप्रतिनिधियों के साथ डिस्कस करके ऐसी योजना बनाएं जिससे उन इलाकों में बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से हो सके। मैं इस आ ाा के साथ इस रैजोल्यू ान का समर्थन करता हूं कि नि चत रूप से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था ठीक की जाएगी। भाहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली गायब नहीं होगी क्योंकि ग्रामीण और भाहरी क्षेत्रों में दो–दो और तीन–तीन घंटे बिजली गायब रहती है।

श्री रतन लाल कटारिया (रादौर, अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड के लिए यह प्रस्ताव आया है जिसके अन्दर 800 करोड़ रुपए तक ऋण लेने की बात कही गई है। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक पोलिटिकल बिल का संबंध है, सप्लाई औफ पावर के बारे में सरकार ने समय समय पर यह चाहा है कि हरियाणा प्रदे ा एक कृशि प्रधान प्रदे ा होने के नाते सारे हिन्दुस्तान में म ाहूर हो। इस बात को मद्दे नजर रखते हुए जो 800 करोड़ रुपए तक का लोन लेने की बात आई है यह रा ि ा कुछ कम होनी चाहिए थी। बिजली बोर्ड के लिए जो 800 करोड़ रुपए तक का लोन लेने की व्यवस्था की जा रही है वह इसलिए की जा रही है क्योंकि हमारे बिजली बोर्ड के ऐडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कुछ कमियां हैं। यदि ऐडमिनिस्ट्रेटिव लैवल पर कमियां नहीं होती तो यह लोन लेने की रा ि ा कुछ कम हो सकती थी। जैसे हमारे बिजली बोर्ड के जो थर्मल प्लांट चलते हैं उनके अन्दर कोयले की सप्लाई बहुत घटिया किस्म की आ जाती है जिसका बिजली बोर्ड के औफिसर्ज ध्यान से निरीक्षण नहीं करते हैं। उस घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई की वजह से परसैंटेज औफ ऐक्सपैंडीचर भी बढ़ जाता है। इसके अलावा घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई से हमारे थर्मल प्लांटस भी खराब हो जाते हैं। परिणामस्वरूप काफी समय तक थर्मल प्लांटस बंद रहने से सरकार पर अनाव यक रा ि ा का बोझ पड़ता रहता है और बिजली बोर्ड का घाटा बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से देखने में आया है कि बिजली की चोरी होती है। हरियाणा प्रदे ा

के अन्दर जो बड़े बड़े कारखाने हैं, उन कारखानों के मालिक बिजली बोर्ड के औफिसर्ज के साथ मिलीभगत के कारण बिजली के टोटल लौड की 30 परसैन्ट चोरी कर रहे हैं। इस बात को डिटैक्ट करके टाईमली ऐक ान लिया जाए। अगर भुरू से ही बिजली बोर्ड के प्र ाासनिक ढांचे पर अच्छी पकड़ होती तो बिजली बोर्ड को इतना ज्यादा लोन लेने की आव यकता नहीं पड़ती। इसी तरह से कई बार ट्रांसफारमर्ज सड़ जाते हैं तो उनकी रिप्लेसमैंट पर बहुत ज्यादा रा ि ा खर्च होती है। जो ट्रांसफारमर्ज जल जाते हैं उनके बारे में बिजली बोर्ड के फील्ड के औफिसर्ज की यह जिम्मेदारी बनती है कि किस लाईन पर कितना लौड डालना चाहिए लेकिन देखने में आया है कि बड़े बड़े कारखानेदारों से बिजली बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण बिजली की चोरी के लिए जो 66 के0वी0 सब–स्टे ांज होते हैं उन पर 66 के0वी0 की बजाय 120 के0वी0 सब स्टे ान का लौड बढ़ा दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप ट्रांसफारमर जल जाता है। इस तरह से इस किस्म का नुकसान ऐडमिनिस्ट्रे ान के फैल्यौर की वजह से सरकार को भुगतना पड़ता है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।) अध्यक्ष महोदय, यह आम बात सुनने को मिलती है कि कम्पयूटर के जरिए जो बिल तैयार किए जाते हैं वे गलत होते हैं। कई बार बिल तो 100 रुपये का होता है लेकिन उसके आगे दो जीरो लगने से वह बिल 100 रुपये की बजाये 10000 रुपये बन जाता है। जब आम उपभोक्ता इसको ठीक कराने के लिए बिजली बोर्ड के औफिस में जाता है तो उसको बताया

जाता है कि यदि बिल की पेमैंट समय पर न की गई तो 100 रुपये की और पैनेल्टी लग जाएगी।

Mr. Speaker: Please wind up.

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि 100 रुपये का बिल और उस पर फिर 100 रुपये की ही पैनेल्टी, यह कहां का इन्साफ है? मैं चाहूंगा कि सरकार इस कमी की तरफ अव य ध्यान दे।

श्री अध्यक्ष: आपका समय हो गया है। अब आप कृपया बैठिए।

श्री सरदूल सिंह (सफीदों): स्पीकर साहब, 800 करोड़ रुपये तक के लोन की जो मन्जूरी मन्त्री महोदय हाउस से मांग रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह ठीक है। मुझे इस बात का भी पता है कि बिजली न मिलने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं। पिछले दिनों असंध में बिजली न मिलने के कारण लोगों को काफी दिक्कतें आई थी। बिजली न मिलने के विरोध में वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठे भी हुए थे। मुझे वहां की सारी स्थिति का पता था कि किस कारण बिजली नहीं मिल पा रही। मैंने वहां पर उपस्थित लोगों को समझाया कि 5 दिन के अन्दर अन्दर आपका ट्रांसफार्मर लग जाएगा और बिजली मिल जाएगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ट्रांसफार्मर लगने से ही वहां की बिजली की हालत सुधर गई। आज के दिन सभी हल्कों में बिजली की

कंजम्प ान का लोड बढ़ चुका है लेकिन ट्रांसफार्मर लोड को देखते हुए बहुत छोटे हैं। ट्रांसफार्मर छोटे होने की वजह से और कंजम्प ान बढ़ने से बिजली की सप्लाई लगातार नहीं हो पा रही है। मुझे इस संबंध में अंग्रेजों के टाईम की एक बात याद आई है। उस समय जीरी के लिए पानी नहीं मिल रहा था तो लोगों ने अंग्रेज को कहा कि पानी पानी पानी पानी। इतनी बात सुन कर अंग्रेज कहने लगा कि पानी बंद। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक यह रेजोल्यू ान पास हो कही उस समय तक जीरी न सूख जाए। इसलिए मेरी हाऊस के सभी साथियों से प्रार्थना है कि इस रा ि ा को जल्दी से जल्दी पास कर दिया जाए ताकि लोगों को जीरी की सिंचाई के लिए व दूसरे कामों के लिए जल्दी से जल्दी बिजली मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इतनी बात कहते हुए और आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

कामरेड हरपाल सिंह (टोहाना): स्पीकर साहब, मैं इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस संबंध में सदन के अन्दर बिजली के बारे में सवाल आते रहे हैं। बिजली बोर्ड में जो घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है उसके बारे में भूतपूर्व मन्त्री महोदय ने एक सवाल के जवाब में यह कहा था कि करोड़ों रुपये बिजली के बिलों के इण्डस्ट्रियलिस्टस की तरफ बकाया पड़े हैं। जब पीछे बिजली के रेट बढ़ाये गए थे उस समय भी हमने कहा था कि ये रेट न बढ़ाए जाएं लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई थी। इतना ही नहीं लोग बिजली की चोरी भी काफी मात्रा में करते

हैं और लाईनों पर लौड भी बढ़ गया है जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई ठीक नहीं हो पाती। जो करोड़ों रुपये के बिजली के बिल उस समय बकाया पड़े थे वे आज भी बकाया पड़े हैं। काफी इण्डस्ट्रियलिस्टस की तरफ करोड़ों रुपये बिजली के बिल के बकाया हैं। ऐसे लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आते हैं जिसकी वजह से बोर्ड को लगातार घाटा हो रहा है। इतना ही नहीं ये इण्डस्ट्रियलिस्टस बिजली की चोरी करने के लिये बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारियों को खरीद लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन सभी सब–स्टे ान्ज ओवर लोडिड हैं। बिजली की चोरी आज के दिन काफी बड़ी मिकदार में होती है। ओवर लोड होने की वजह से सब स्टे ान्ज पर कैपेस्टर लगाए हुए हैं। इनके जरिए एक साईड में एक दिन बिजली की सप्लाई की जाती है और दूसरे दिन पहली तरफ दी जाने वाली बिजली को काट कर दूसरे दिन सप्लाई दूसरी साईड में की जाती है। आज के दिन लोगों को परमानेन्ट बिजली नहीं मिल रही। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसानों को एक दिन छोड़कर बिजली मिलती है, लगातार नहीं मिलती है। हां, भाहरों में लगातार बिजली जरूर मिलती है ताकि उनके पास मच्छर न आ सकें लेकिन देहात में बिजली की सप्लाई ठीक नहीं है। किसानों को लगातार बिजली न मिलने के कारण उनकी इस समय जीरी की फसल खराब हो रही है। इतना ही नहीं देहात में बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए भी बिजली लगातार नहीं मिलती। लोगों को बिजली ठीक मिल सके इसके लिए बिजली की चोरी को रोका जाना चाहिए। बिजली की चोरी को रोकने के लिए

ऊपर से आदे ा जाते हैं लेकिन इस चोरी को रोकने के लिए बार बार जो ढंग हमारे सामने आता है, स्पीकर साहब, उसका उल्लेख करना चाहूंगा। जो लोग पैसे दे देते हैं उनकी बिजली चोरी कन्टीन्यू रहती है। यदि इस बारे में कोई ि ाकयत की जाती है तो उसका कोई असर नहीं होता। स्पीकर साहब, इस बारे में मैं अपने हल्के की एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। एक ट्रांसफारमर जल गया और ऊपर से आदे ा है आते हैं कि यह ट्रांसफारमर 48 घंटे में बदल दिया जाए। किसान कम्पलैंट लोज करवाता है कि ट्रांसफारमर जल गया है और पूछता है कि यह कब तक बदला जाएगा तो बताया जाता है कि 20 दिन बाद ट्रांसफारमर मिलेगा। 20 दिन का आप हिसाब लगाएं कि ट्यूबवैल्ज पर कितना तेल कन्जयूम होगा। एक ट्रांसफारमर पर अगर 10 ट्यूबवैल्ज पड़ते हैं तो 20 हजार रुपये प्रति टयूबवैल के हिसाब से 20 हजार रुपये का रेट अधिकारियों के साथ फिक्स करते हैं। हमारे कहने के बावजूद भी बताया जाता है कि ट्रांसफारमर 15 दिन बाद लगेगा। किसानों को कहा जाता है कि अगर ट्रांसफारमर लगवाना है तो 2 हजार रुपये हरेक आदमी को खर्च करना पड़ेगा और 20 हजार रुपया इकट्ठा करके दो। स्पीकर साहब, लोग हमारे पास ि ाकायतें लाए और हम ऐक्सीयन को मिले। ऐक्सीयन साहब का जवाब था कि मैंने उन अधिकारियों की काफी खिंचाई की है। अध्यक्ष महोदय, खिंचाई तो कोई पैनल्टी नहीं है। कोई पैनल्टी नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं, कोई सस्पैं ान नहीं, कोई भाो काज नोटिस नहीं। इस स्थिति में इस बात का भाक जाहिर होता

है कि ऊपर तक के अधिकारियों से उन अधिकारियों की मिली भगत हैं और हिस्सा बंटा हुआ है। कई बार तो यह कह कर भी पैसे वसूल किये जाते हैं कि ट्रांसफारमर के पैसे में इतने पैसे ऐक्सीयन का हिस्सा है, इतने पैसे एस0ई0 साहब के हैं और इतने पैसे चीफ तक जाएंगे हम बिना पैसे के ट्रांसफारमर आर्डर कैसे ले आएं? स्पीकर साहब, सरकार को इन चीजों पर गौर करना चाहिए। अब मैं पेडी एरिया के बारे में कहना चाहता हूं। आज के दिन जो बिजली बोर्ड के अधिकारी हैं कई कई ट्रालियां धान की मण्डी में लाते हैं। एक छोटे किसान की इतनी फसल मण्डी में नहीं जाएगी जितनी कि इन अधिकारियों की मण्डी के अन्दर जाती है। ये लोग बोरियों के हिसाब से किसानों से धान लेते हैं। स्पीकर साहब, इसके साथ ही मैं एक और बात भी जाड़ना चाहूंगा और बिजली मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि जो अधिकारी/कर्मचारी ईमानदारी से काम करते हैं उनको वि ोश ईनाम दिए जाएं, उनको वि ोश प्रोत्साहन के लिए नौकरी में स्पे ाल प्रोमो ान के चांस दिए जाएं, ताकि दूसरे अधिकारी/कर्मचारी भी ईमानदारी से काम करें। मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि महकमे के अन्दर सारे अधिकारी/कर्मचारी बेईमान नहीं हैं। जो अधिकारी/कर्मचारी बेईमान हैं उनका सख्ती से नोटिस लिया जाए। बिजली के बिलों के बारे में भी मेरे बहुत से दोस्त बोले हैं। बिजली के बिलों के भुगतान के बारे में बिजली बोर्ड का एक नियम है लेकिन आम किसान की या आम कन्जूमर को पता नहीं है कि नियम है या नहीं है। बिजली का 1000 रुपये

का बिल चला गया तो कहेंगे कि पहले बिजली का बिल जमा करवाओ। बिजली का बिल नहीं भरोगे तो कनैक ान काट देंगे। इसलिए उन्हें पहले 1000 रुपया भरना पड़ेगा जो बड़े आदमी हैं जिनके करोड़ों रुपये के बिल बकाया पड़े हैं उनका कोई कनैक ान नहीं काटता क्योंकि वे हाईकोर्ट से स्टे ले लेते हैं। मेरे ख्याल से बिजली बोर्ड के अन्दर लीगल ऐडवाईजर्ज भी हैं जो सिर्फ इस लिए वहां बैठे हुए हैं कि वे कारखानेदारों को बताएं कि आपके ऊपर इतना बिल बकाया है इसलिए आप जल्दी से जल्दी स्टे ले आएं, आपको इस कानून के मुताबिक स्टे मिलेगा। वे जिबली बोर्ड की सेवा नहीं करते बल्कि कारखानेदारों की सेवा करते हैं, उनको स्टे दिलाने में ददद करते हैं। जबकि छोटे कन्जयूमर के छोटे से बिल के ऊपर पूरा महकमा उसके पीछे पड़ जाता है। विजिलैन्स महकमे के लोग यहां चण्डीगढ़ से भी जाते हैं और प्लास लेकर उनके कनैक ान काट देते हैं। कई बार बिल बनाते समय भी गलती हो जाती है। स्पीकर साहब, मेरा अनुरोध है कि इन सब चीजों को ओर भी गौर करना चाहिए। इसके साथ ही मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि हमारे यमुनानगर, फरीदाबाद, पानीपत तीन जगह और भाखड़ा बिजली के मुख्य केन्द्र हैं जहां से हमें बिजली मिलती है। आने वाले दिनों में हमारी कम्जम्प ान और बढ़ेगी क्योंकि ज्यों–ज्यों विकास हो रहा है बिजली की कन्जम् ान और बढ़ने की सम्भावना है इस वास्ते हमें ऊर्जा के और स्त्रोत भी ढूढ़ने चाहिए ताकि आने वाले दिनों में अगर इन स्थानों से बिजली की आपूर्ति में कोई गड़बड़ी हो जाए

जो हमारी बिजली का ढांचा चरमरा न जाए और हम इस बिजली की व्यवस्था को मेनठेन कर सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः अब गृह मन्त्री जी बोलेंगे।

12.00 बजे

गृह मंत्री (प्रोफैसर सम्पत सिंह): स्पीकरसर, इस रैजोल्यू ान पर लिमिटिड हैल्दी विचार मैम्बर साहेबान के आये हैं। जो सवाल इस बीच उठे हैं उनके बारे में मैं सब की जानकारी के लिए कुछ कहना चाहता हूं। कई मैम्बर साहेबान ने बोर्ड की वर्किंग पर बात की है और एक किस्म से यह सारी डिस्क ान बोर्ड की वर्किंग के बारे में ही रही है। स्पीकर सर, यह जो रैजोल्यू ान था यह लोन की लिमिट 800 करोड़ तक बढ़ाने के बारे में था। ऐसा नहीं है कि बोर्ड आज 800 करोड़ रुपये का लोन ले रहा है। वर्श 1987 में 600 करोड़ रुपये तक लोन की लिमिट थी यानि 600 करोड़ तक का लोन बोर्ड ले सकता था लेकिन अब आव यकता पड़ गई है कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए, क्योंकि 561.58 करोड़ रुपये का लोन बोर्ड ले चुका है। यह कोई जरूरी नहीं है कि यह लिमिट इसी साल ही पूरी हो जाएगी। ज्यों–ज्यों आव यकता पड़ेगी बोर्ड लोन लेता रहेगा और यह लिमिट 800 करोड़ रुपये तक की ही रहेगी न कि यह बोर्ड आज ही 800 करोड़ रुपये का लोन ले रहा हा ऐसी कोई बात नही है। श्री राम बिलास भार्मा जी ने कहा कि जो लाईन लौसिज हैं वे

बहुत ज्यादा हैं। स्पीकर सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लाईन लौसिज बहुत ज्यादा हैं इसी तरह से बिजली थैफ्ट भी होती है। बिजली की इस चोरी को रोकने के लिए बोर्ड कोि ा ा करता है और बिजली की थैफ्ट के केसिज भी दर्ज होते हैं। सदन की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि इसी साल बिजली चोरी के अगेन्स्ट 800 के लगभग एफ0आई0आर0 दर्ज करके चोरी के केसिज पकड़े हैं। स्पीकर सर, सदन की जानकारी केलिए मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पहले जैसे राम बिलास भार्मा जी ने कहा है लाईन लोसिज 29 प्रति ात थे। स्पीकर साहब, आज वे 29 प्रति ात नहीं हैं। इसी साल में अप्रैल से लेकर जुलाई तक के 4–5 महीनों के अन्दर इनको हम 29 प्रति ात से कम करके 26 प्रति ात ले आये हैं। 3 प्रति ात नीचे इसको कर दिया है। बोर्ड की पूरी कोि ा ा होगी कि इसी साल के अन्दर–अन्दर इनको 26 प्रति ात से कम करके 20 प्रति ात तक ले आएं, मैं इस बात के लिए हाउस को अ योर करना चाहता हूं। इसी तरह से हमारें बिजली बोर्ड के इतिहास में यह साल पहला ऐसा साल है कि जब पैडील के दौरान भी कोई किसी किस्म का पावर कट हरियाणा प्रदे ा में नहीं रहा है। किसी किस्म का चाहे वह डोमैस्टिक सैक्टर था, इंडस्ट्रियल सैक्टर था या ऐग्रीकल्चर सैक्टर था, किसी भी सैक्टर के अन्दर कोई पावर कट नहीं था। इसी तरह सेरैवेन्यू रिसीट की इन्क्रीज की बात भी यहां पर कही गयी। बोर्ड इस बात की पूरी कोि ा ा कर रहा हैकि रैवेन्यू में भी इन्क्रीज होनी चाहिये। चाहे वह एरियर्ज जो पैंडिंग हैं, उनकी

बात हो या जहां बिजली चोरी होती है, उसको बन्द करने की बात हो, रैवेन्यू रिसीट को बढ़ाने की भी बोर्ड ने पूरी कोि ा ा की है। यह प्रदे ा के लिये बड़ी खु ाी की बात है कि बोर्ड ने इस साल में रैवेन्यू इन्क्रीज किया है। अप्रैल से जुलाई तक के आंकड़ों के हिसाब से रैवेन्यू रिसीट में 25 प्रति ात इन्क्रीज है। बोर्ड, जैसे मैंने कहा, अपनी तरफ से पूरी कोि ा ा कर रहा है कि अपनी प्रणाली में सुधार लाया जाये। हां, यह बात ठीक है कि कहीं–कहीं डिस्ट्रिब्यू ान में दिक्कत आती है। पुरानी लाईनें हैं। लोड़ बढ़ रहा है। इस वजह से हम यह कोि ा ा कर रहे हैं कि सब–स्टे ान्ज ज्यादा हो और ट्रांसफारमर्ज भी बढ़ाये जायें। जहां तक कनैक ान्ज देने की बात का जिक्र आया है, उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब बंसी लाल ने दूसरी बार हरियाणा प्रदे ा में 1987 में बागडोर संभाली तो इस प्रदे ा के अन्दर 8–8 साल की ट्यूबवैल्ज कनैक ान्ज के लिए ऐप्लीके ान्ज पैंडिंग पड़ी थी। हम इस 8 साल के पीरियड को घटाते–घटाते तीन साल तक ले आये हैं। अब तीन साल से ऊपर की हरियाणा प्रदे ा में कोई भी ट्यूबवैल्ज कनैक ान की ऐप्लीके ान बकाया नहीं है। हमारी कोि ा ा यह है कि हम इसकी वर्किंग में सुधार करके ऐसी पोजी ान में ले आयें कि लोग ऐप्लाई करें और तभी कनैक ान लेलें। अन्त में मैं आपके जरिये हाउस से यह गुजारि ा करूंगा कि इस रैजोल्यू ान को ऐप्रूव किया जाये।

Mr. Speaker: Question is that-

This House approves, under sub-section(3) of section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948) the fixation by the State Government of a higher maximum amount of 800 crore of rupees which the Haryana State Electricity Board may atg any time have on loan under sub-section(1) of that section.

बिल्ज–

(i) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान बिल (नं0 3), 1990

श्री अध्यक्षः अब फाइनैंस मिनिस्टर दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान (नं0 3) बिल 1990 को इट्रोड्यूस करेंगे तथा उसे कंसीडर करने के लिये मो ान मूव करेंगे।

Revenue Minister (Shri Tayyab Hussain): Sir, I bet to introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1990.

Sir, I also move-

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

आनरेबल मैम्बर्ज, यह बिल वर्श 1984–85 के ऐक्सैस ऐक्सपैंडिचर से संबंधित है और पी0ए0सी0 ने ऐग्जामिन करके इसे रैगुलेराइज करने के लिये आपके पास भेजा है।

श्री राम बिलास भार्मा: ठीक है जी। मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप लिमिट में ही बात कहें तो ठीक रहेगा।

श्री सूरज भान: सर, मैंने आपको लिखकर भी दिया है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, वह मेरे पास आ गया है।

श्री राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, वर्श 1984–85 में जो पैसा बजट अनुमान से ज्यादा खर्च किया गया, वह थोड़ी सी ही अमाउन्ट है। वह करीब 39 करोड़ 56 लाख रुपये की अमाउन्ट इसमें बतायी गयी है। इस सरकार को तो 1984–85 का कुछ पता ही नहीं होगा। होना यह चाहिये कि जिस सरकार के समय की बात हो, उसी सरकार के समय में ऐसा हो जाये तो ठीक रहेगा। यह पैसा जो बजट अनुमानों से अधिक खर्च किया गया इस बारे में आजकल यह हो रहा है कि सरकार चाहे बजट में प्रोविजन करे या न करे, सदन से भी उसको एप्रूव कराये या न कराये, खर्च कर लेती है और बाद में वह पास होता है। यह सिलसिला चल रहा है। आर्थिक विनियोग के लिये यह सिलसिला ठीक नहीं है। कई बार औडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी इस बारे में चर्चा आयी है। स्पीकर साहब, जो सरकार बजट अनुमान से ज्यादा खर्च करती है उसी सरकार की उसके बारे में जवाब देही

बनती है। यह नहीं होना चाहिये कि नानी खसम करे और दोहता दण्ड भरे। यह सारा खर्च वर्श 1984–85 का है। जनरल ऐडमिनिस्ट्रे ान की डिमांड नं0 2 के अन्दर रैवेन्यू ऐक्सपैंडीचर को मीट करने के लिए सप्लीमैंटरी डिमांडज के थ्रू 1,15,94,464 रुपया मांगा गया था। यह खर्चा मिनिस्ट्र की बढ़ौतरी तथा एक इंटरले ानल फेयर में भाग लेने तथा कुछ दूसरी मदों पर खर्चा करने के कारण बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा एक छोटा सा प्रांत है। छोटे–छोटे दुकानदार और मजदूरों से हम टैक्स इकट्ठा करते हैं। उनकी इस मेहनत की कमाई को इतनी बेरहमी से खर्च करना मेरे विचार में ठीक नहीं है। इसकी जवाबदेही तो उस वक्त की सरकार ही दे सकती है कि उस मेले में भाग लेने का क्या औचित्य बनता था। अध्यक्ष महोदय, 39 करोड़ 56 लाख की ये डिमांडज हैं इन पर 1984 में विचार होना चाहिए था। यह इतना लेट क्यों हुआ। डिमांड नं0 15 इरीगे ान की डिमांड है। इसमें सब से ज्यादा खर्चा हुआ है। इसमें 26 करोड़ का खर्चा हुआ है। यह खर्चा लिफ्ट इरीगे ान प्रोजैक्टस की मेंटेनैंस ऐनर्जी चार्जिज की पेमैन्ट और पम्प हाउसिज की रिपेयर आदि पर हुआ है। मैं समझता हूं कि इन चीजों पर इतना खर्च नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं0 3 जो होम की है के बारे में कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक किसान हल चलाता है, दुकानदार बेचारा दुकान पर बैठता है और एक गरीब मोची जूती गांठता है और इन सब से हम किसी न किसी भाक्ल में टैक्स लेते हैं लेकिन

हमारी पुलिस की हालत यह है कि किसी की मां बहन के साथ दिन दिहाड़े दुर्व्यवहार करती है . . . . . .

श्री अध्यक्षः भार्मा जी यह रेलेवैन्ट नहीं है।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि जो पैसा खर्च किया जाता है उस पर उसी समय डिस्क ान होना चाहिए। जिस सरकार के समय कोई खर्च हो उसकी जवाबदेही उसी गवर्नमैंट को करनी चाहिए। इस वक्त हमें क्या जरूरत आ पड़ी है कि हमें उसकी जवाबदेही करनी पड़े।

श्री अध्यक्षः जवाब तो जनता ने 1987 में दे दिया था।

श्री सूरज भान (मुलाना, अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक ही कहा है कि यह 1984–85 का मामला था और इसका जवाब 1987 में जनता ने दे दिया था लेकिन सवाल तो यह है कि इसको डिस्कस आज 6 साल के बाद कर रहे हैं। छः साल में छः मुख्य मन्त्री बदल गए।

अध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा 204 जो ऐप्रोप्रिए ान बिल के बारे में है उसमें लिखा है–

"Appropriation Bills-(1) As soon as may be after the grants under article 203 have been made by the Assembly, there shall be introduced a Bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of all moneys required to meet."

छः साल तक तो इसको लटकाते रहे और छः साल का भी कोई डैफीनिट पीरियड नहीं है। आज यह छः साल के बाद आया है, कल दस साल के बाद आएगा और परसों बीस साल के बाद आयेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो फालतू खर्च हुआ यह किसी के नोटिस में क्यों नहीं आया और अगर नोटिस में आया था तो वे खामो ा क्यों बैठे रहे? इस डिले के लिए कौन रिस्पौंसीबल है? यह रिस्पौंसीबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अगर हम इस वक्त रिस्पौंसीबीलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो आगे भी इनऔडिनेट डिले होती रहेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

राजस्व मंत्री (श्री तैयब हुसैन): मोहतरिम स्पीकर साहब, मेरे इन साथियों ने नई प्रथा डालने की कोि ा ा की है। इस पर डिस्क ान की कोई खास जरूरत नहीं थी मुझे याद नहीं है कि कभी इस तरह का डिस्क ान पहले हुआ हो। असल बात यह है कि कन्ट्रोलर एण्ड औडीटर जनरल ने अच्छी तरह से विचार करके रिपोर्ट दी। यह रिपोर्ट 1986 में पे ा हुई। उसके बाद पब्लिक अकांउस कमेटी ने जिसके चेयरमैन माननीय सदस्य श्री हीरा नन्द आर्य थे, इस पर अच्छी तरह से गौर किया। पी0ए0सी0 ने अपनी रिपोर्ट 6 फरवरी, 1990 को फाइनेलाइज की थी और उसी की रिकामैन्डे ान्ज के तहत हमने ऐक्सैस डिमांडज ओवर ग्रांटस के ऐप्रोप्रिए ान बिल को पे ा किया है। हम समझते हैं कि हमने इसको अरलीयस्ट अपर्चुनिटी में पे ा किया है। हमारी तरफ से न कोई देरी हुई है और न ही किसी प्रकार की कोई कोताही ही हुई

है। अध्यक्ष महोदय, पी0ए0सी0 ने जो औबजर्वे ान की है, वह मैं पढ़ देता हूं।

"Subject to the above observations, the Committee recommend that excess expenditure as indicated above may be regularised by the Legislature in the manner as prescribed under Article 205 of the Constitution of India".

स्पीकर साहब, इन्होंने जो सावधानी की बात कही है, उस पर हम पूरी तरह से सतर्क हैं और आइन्दा हम इस बात का ध्यान रखेंगे।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। अभी वित्त मन्त्री महोदय ने कहा कि पी0ए0सी0 की रिकमैन्डे ान्ज हैं और पी0ए0सी0 ने इस संबंध में कुछ बातें सुझाई भी हैं। अगर वे सारी बातें सदन में भी बात दें तो बेहतर होगा क्योंकि उन्होंने इस बात को चर्चा तो कर ही दी है।

श्री तैयब हुसैनः सर, सदन में वह रिपोर्ट पे ा हो चुकी है।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

This motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The Motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the bill be passed.

Revenue Minister (Shri Tayyab Hussain): Sir I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The Motion was carried.

(ii) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमेंट बिल, 1990

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर फार पार्लियामैन्टरी अफेयर्ज दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (फेसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1990 को इंट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसीडर करने के लिए मो ान मूव करेंगे।

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 1990.

Sir, I also move-

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the bill be passed.

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउन्सिज एण्ड पैन ान औफ मैम्बर्ज) सैकिण्ड अमैंडमैंट बिल, 1990

श्री अध्यक्ष: अब पार्लियामैन्टरी अफेयर्ज मिनिस्टर दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउन्सिज एण्ड पैन ान औफ मैम्बर्ज) सैकिण्ड अमैंडमैंट बिल, 1990 को इंट्रोड्यूस करेंगे तथा उसे कंसीडर करने के लिये मो ान मूव करेंगे।

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, 1990.

Sir, I also move-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the bill be passed.

Revenue Minister (Shri Tayyab Hussain): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसायटीज (अमैंडमैंट) बिल, 1990

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर फार कोआप्रे ान दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज (अमैंडमैंट) बिल, 1990 को इंट्रोड्यूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिये मो ान मूव करेंगे।

सहकारिता मंत्री (श्री धीर पाल सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा सहकारिता सोसाइटीज (अमैंडमैंट) विधेयक 1990 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा सहकारिता सोसाइटीज (अमैंडमैंट) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Cooperative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Cooperative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause

Clause 2 to 6

Mr. Speaker: Question is-

That clauses 2 to 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clauses 2 to 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the bill be passed.

सहकारिता मंत्री (श्री धीर पाल सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाये।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब हाउस साइने डाई ऐडजर्न किया जाता है।

12.19 बजे

(तत्प चात सदन अनि चत काल के लिए *स्थगित हुआ।)